''उत्तराखण्ड लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्य पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति''

उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 3 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्य पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र व्यक्तियों से निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :–

1. **रिक्तियाँ :** (1) अध्यक्ष – 01 पद,
   (2) सदस्य – (i) न्यायिक सदस्य – 02 पद एवं
   (ii) न्यायिक सदस्य से भिन्न सदस्य – 02 पद

2. **आरक्षण :** सदस्यों के पदों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों से संबद्ध व्यक्तियों और महिला में से होंगे।

3. **आयु** : अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति की आयु, विज्ञप्ति समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तिथि को न्यूनतम 45 वर्ष हो।

4. **अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु आवश्यक अर्हताएं** :

(i) अध्यक्ष : अध्यक्ष पद हेतु ऐसे व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या कोई ऐसा विख्यात व्यक्ति, जो उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट पात्रता को पूरा करता है।

(ii) न्यायिक सदस्य : न्यायिक सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु ऐसा व्यक्ति पात्र होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; परन्तु यह और कि ऐसा व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि वह भारत का संविधान के अनुच्छेद 217 के खण्ड–2(क) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता हो (धारा 3 की उपधारा (3)(क) का परन्तुक लागू होगा)।

(iii) न्यायिक सदस्य से भिन्न सदस्य : न्यायिक सदस्य से भिन्न सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु ऐसा व्यक्ति पात्र होगा जो कि निर्दोष सत्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट योग्यता और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो, जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, जिसके अन्तर्गत बीमा एवं बैंककारी भी है, विधि और प्रबंधन से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान और 25 वर्ष से अन्यून की विशेषज्ञता हो।

(iv) ऐसे आवेदनकर्ता जो शासकीय सेवा में कार्यरत हैं उनके द्वारा आवेदन को अपने विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रसारित कराया जायेगा।

5. **अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु अनर्हताएं :** उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 3 की उपधारा (4) के प्रावधान लागू होंगे।

6. **लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल :** अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल, पद ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तक के लिए होगा।

7. **लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय वेतन–भत्ते एवं सेवा शर्तें :**

(i) अध्यक्ष : अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हैं।

(ii) न्यायिक सदस्य एवं न्यायिक सदस्य से भिन्न सदस्य : सदस्यों के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की हैं;

परन्तु यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन (निःशक्तता पेंशन से भिन्न पेंशन) प्राप्त कर रहा हो तो यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से उस पेंशन की धनराशि को और ऐसी नियुक्ति से पूर्व सेवा की बाबत उसको शोध्य पेंशन के किसी भाग के बदले उसका संराशिकृत मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की धनराशि को घटा दिया जायेगा।

(iii) अध्यक्ष या किसी सदस्य को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन में तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

8. **अध्यक्ष और सदस्यों का पद पर न रहने के पश्चात् नियोजन पर निर्बन्धन :**
अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, पद पर न रहने के पश्चात् –

(i) लोकायुक्त के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

(ii) किसी राजनयिक कर्तव्यभार, किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसे अन्य कर्तव्यभार या नियुक्ति के लिए, जो राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से अधिपत्र द्वारा किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है, पात्र नहीं होगा;

(iii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी अन्य नियोजन के लिए पात्र नहीं होगा;

(iv) पद त्याग करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति या संसद के किसी भी सदन के सदस्य या राज्य विधान–मंडल के किसी भी सदन या नगरपालिका/नगर निगम या पंचायत के सदस्य का कोई निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा;

(v) कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उसकी कुल पदावधि 5 वर्ष से अधिक नहीं है।

9. **आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं आवेदन प्रेषित करने का पता :**

(i) अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु इच्छुक आवेदकों के आवेदन निर्धारित प्रारूप पर समस्त संगत अभिलेखों के साथ दिनांक 25.11.2026 को सांय 5 बजे तक निम्नांकित पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त हो जाना चाहिए :–

डाक का पता : संयोजक,
खोजबीन समिति
लोकायुक्त भवन, यमुना कालोनी,
देहरादून, उत्तराखण्ड
पिन कोड – 248001

(ii) उक्त नियत दिनांक एवं समय के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

(iii) आवेदन हेतु लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

10. उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा (Scrutiny) करने के उपरान्त उपयुक्त आवेदकों को शार्टलिस्ट किया जायेगा।

11. यह विज्ञप्ति, आवेदन पत्र का प्रारूप तथा 'उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014' को उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट uk.gov.in पर देखा जा सकता है। अन्य किसी जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 0135–2725744 एवं मो0 नं0– 7351900060 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

(अरविन्द कुमार)
संयोजक,
खोजबीन समिति

''उत्तराखण्ड लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप''

(टिप्पणी : कृपया आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति में उल्लिखित जानकारी का सावधानीपूर्वक संज्ञान लें तथा आवेदन पत्र का कोई स्तम्भ रिक्त न छोड़े)

स्वयं हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज नवीन फोटो

1.	आवेदित पद का नाम	अध्यक्ष / सदस्य (जो लागू हो उसे टिक (√) करें और जो लागू न हो, उसे काट(x) दे)
2.	यदि सदस्य पद हेतु आवेदन किया जा रहा है तो पद की श्रेणी	न्यायिक सदस्य / न्यायिक सदस्य से भिन्न सदस्य (जो लागू हो उसे टिक(√) करें और जो लागू न हो, उसे काट (x) दें)
3.	आवेदक का नाम	1. (हिन्दी में) 2. (अंग्रेजी में)
4.	पिता / पति का नाम (यथा लागू)	
5.	आवेदक की जन्म तिथि :	
6.	विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि को आयु	वर्ष माह दिन
7.	यदि सदस्य पद हेतु आवेदन किया जा रहा है तो क्या आवेदक सदस्य पद के लिए आरक्षण श्रेणी से सम्बन्धित है? (यदि हाँ तो श्रेणी)	हाँ / नहीं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्प संख्यक / महिला (जो लागू हो उसे टिक(√) करें और जो लागू न हो, उसे काट (x) दे)
8.	आवेदक का स्थाई पता (दूरभाष / मोबाइल / ई–मेल सहित)	पता पिन कोड दूरभाष ई–मेल
9.	आवेदक का वर्तमान पत्राचार का पता (दूरभाष / मोबाइल / ई–मेल सहित)	पता पिन कोड दूरभाष / मोबाइल ई–मेल
10.	आवेदक का आयकर PAN संख्या	
11.	आवेदक का वर्तमान धारित पद / व्यवसाय / वृत्ति (यथालागू)	
12.	आवेदक की आवेदित पद हेतु आवश्यक अर्हता का विवरण : (आवेदित पद के सापेक्ष अर्हता स्पष्ट की जाय तथा पुष्टि हेतु संगत साक्ष्य / प्रमाण जीवन वृत्त के साथ संलग्न किए जाय)	
13.	आवेदित पद हेतु उपयुक्तता एवं नियुक्ति की दशा में आवेदक से संभावित योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी	
14.	दो सन्दर्भ व्यक्तियों (Reference) का विवरण (संक्षिप्त पता एवं दूरभाष सहित)	1. 2.
15.	क्या आप किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध पाये गये हैं? (यदि हाँ तो विवरण)	हाँ / नहीं
16	क्या आपके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित है ? (यदि हाँ तो विवरण)	हाँ / नहीं

घोषणा

मैं, ..., जो कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त संस्था के ..... पद हेतु आवेदन कर रहा/रही हूँ

(अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या न्यायिक सदस्य से भिन्न सदस्य)

एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि–

1. मेरे द्वारा उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत उल्लिखित पात्रता हेतु विभिन्न प्रावधानों एवं अनर्हताओं का अध्ययन कर लिया गया है तथा मैं आवेदित पद की समस्त पात्रता एवं सभी शर्तों को पूर्ण करता/करती हूँ।

2. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो भी विवरण दिया गया है तथा आवेदन पत्र के साथ जो अभिलेख संलग्न किए गए हैं, वे सभी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य हैं और कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। मैं यह भी भली भांति समझता/समझती हूँ कि यदि उल्लिखित विवरण में से कोई सूचना त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक : ..... आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान : ..... **(पूरा नाम)**

Format of Application Form for the post of Chairperson and Member of Uttarakhand Lokayukta Establishment

(Note: Please read carefully the information mentioned in the advertisement before filling the application form and do not leave any column of the application form blank)

Self attested passport size current photograph

1.	Name of post applied for	Chairperson/ Member (Tick (✓) whichever is applicable and strike out (x) whichever is not applicable)
2.	If applying for the post of Member, then the category of the post	Judicial Member / Member other than Judicial Member (Tick (✓) whichever is applicable and strike out (x) whichever is not applicable)
3.	Name of applicant	1. (in Hindi) 2. (in English)
4.	Father's/Husband's Name (as applicable)	
5.	Date of Birth of the applicant:	
6.	Age as on the date of publication of advertisement	year month days
7.	If applying for the post of Member, does the applicant belong to the reservation category for the post of Member? (If yes, then the category)	Yes/ No SC/ST/OBC/Minority/Women (Tick (✓) whichever is applicable and strike out (x) whichever is not applicable)
8.	Applicant's permanent address (including telephone/mobile/email)	Address Pin code Phone Number email
9.	Applicant's current correspondence address (including telephone/mobile/email)	Address Pin code Phone Number/Mobile email
10.	PAN Number of the applicant	
11.	Current post /Occupation/Profession(as applicable) of the applicant	
12.	Details of the applicant's essential qualification for the post applied for: (Qualifications for the post applied for should be clearly stated and relevant evidence/proofs should be attached with the bio-data for confirmation)	
13.	A Brief note on the suitability for the post applied for and the contribution likely to be made by the applicant in case of appointment.	
14.	Details of two reference persons (Reference) (With brief address and telephone number)	1. 2.
15.	Have you been convicted in any criminal case? (If yes, details)	Yes/ No
16.	Is there any criminal case pending against you? (If yes, details)	Yes/ No

Declaration

I, ……., the applicant, for the post of……..……. of Uttarakhand Lokayukta
(Chairperson, Judicial member or member other than Judicial member)
Establishment, hereby declare that-

1. I have read the various provisions regarding eligibility and disqualification specified under the Uttarakhand Lokayukta Act, 2014 and I fulfill all the eligibility criteria and conditions for the post applied for.

2. All details provided by me in the application form and the documents attached thereto are true and correct to the best of my personal knowledge and belief, and no facts have been concealed. I also fully understand that if any information provided is found to be incorrect, my application may be rejected, and I shall have no objection to this.

Date :…… Signature of the applicant

Place :…… (Full name)

क्रम संख्या–147

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, शुक्रवार, 22 अगस्त, 2014 ई0

श्रावण 31, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 223/XXXVI(3)/2014/50(1)/2014

देहरादून, 22 अगस्त, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड–1 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने **"उत्तराखण्ड लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2014"** पर दिनांक 21अगस्त, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अध्यादेश संख्या 06 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

"उत्तराखण्ड लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश–2014"

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 06, वर्ष 2014)

(भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2014) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 1 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

2. उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2014) जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 की उपधारा (3) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात–

"इस अधिनियम के प्राविधान तैयारी के प्राविधानों के निमित्त तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अधिनियम, लोकायुक्त की नियुक्ति की तिथि से प्रवृत्त हो जायेगा।"

धारा 4 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) का प्रथम परन्तुक निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगा, अर्थात–

" परन्तु यह कि लोकायुक्त के प्रथम अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु चयन समिति के निर्देशानुसार खोजबीन समिति का गठन कर लिया जाएगा।"

व्यावृति

4. ऐसे संशोधनों के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अध्यादेश के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

डॉ0 अजीज कुरैशी,
राज्यपाल,
उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 223/XXXVI(3)/2014/50(1)/2014
Dated Dehradun , August 22, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **"the Uttarakhand Lokayukta (Amendment) Ordinance, 2014"** (Uttarakhand Ordinance NO- 06 of 2014)

As Promulgated by the Governor of Uttarakhand and assented on 21 August, 2014.

THE UTTARAKHAND LOKAYUKTA (AMENDMENT) ORDINANCE, 2014
(Uttarakhnad Ordinance No. 06, Year 2014)

(Promulgated by the Governor in the Sixty-Fifth Year of the Republic of India)

To further amend the Uttarakhand Lokayukta Act, 2014 (Act No. 6 of 2014)

AN ORDINANCE

WHEREAS, the State Assembly is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action:

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of **"The Constitution of India"** The governor is pleased to promulgate the following Ordinance-

Short title and Commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttarakhand Lokayukta (Amendment) Ordinance, 2014

(2) It shall come into force at once.

Substitution of section 1

2. Sub-Section (3) of Section 1 of the Uttrakhand Lokayukta Act, 2014 (Act No. 6 of 2014) hereinafter referred to as principle Act shall be substituted as follows, namely-

"For the purpose of preparation, the provision of the Act shall come into force at once and the Act shall come into force from the date of appointment of the lokayukta."

Substitution of section 4

3. The First proviso of Sub-section (3) of Section 4 of the principle Act, Shall be Substituted as follows, namely

"Provided that for the selection of the first chairperson and members of the Lokayukta, as per direction of the selection Committee, the search committee shall be constituted."

Saving

4. Notwithstanding such amendments anything done or any action taken under the principal act shall be deemed to have been done or taken under this Ordinance.

Dr. AZIZ QURESHI,
Governor,
Uttarakhand.

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 31 विधायी/544–2014–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–57

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 26 फरवरी, 2014 ई0

फाल्गुन 07, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 89 / XXXVI(3) / 2014 / 05(1) / 2014

देहरादून, 26 फरवरी, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2014"** पर दिनांक 26 फरवरी 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 06 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014

कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए उत्तराखण्ड लोकायुक्त के निकाय की स्थापना करने और उससे सम्बंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

भाग 1
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ

1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2014" है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा।

(3) इस अधिनियम के प्राविधान तैयारी के प्राविधानों के निमित्त तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अधिनियम पर अनुमति प्राप्त होने की अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से 180वें दिन प्रवृत्त हो जायेगा।

भाग 2
उत्तराखण्ड राज्य के लिये लोकायुक्त
अध्याय 1
परिभाषाएं

परिभाषाएं

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "न्यायपीठ" से लोकायुक्त की न्यायपीठ अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से लोकायुक्त का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "सक्षम" प्राधिकारी" से,—

(एक) मुख्यमंत्री के संबंध में, विधानसभा अभिप्रेत है;

(दो) मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के संबंध में, मुख्यमंत्री अभिप्रेत है;

(तीन) मंत्री से भिन्न विधान सभा के किसी सदस्य के संबंध मे विधानसभा का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(चार) राज्य सरकार के किसी अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में उसका नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(पांच) विधानसभा के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित या गठितअथवा राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के किसी अध्यक्ष या किन्हीं सदस्यों के संबंध में उस निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय के प्रशसनिक विभाग का भारसाधक मंत्री अभिप्रेत है;

(छः) विधानसभा के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित अथवा राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के किसी अधिकारी के संबंध में उस निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय का प्रधान अभिप्रेत है;

(सात) ऊपर उपखण्ड (एक) से उपखण्ड (छः) के अंतर्गत न आने वाले किसी अन्य मामले में, ऐसा विभाग या प्राधिकरण, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है;

परंतु यदि उपखण्ड (पांच) या उपखण्ड (छः) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य भी है तो, सदस्य होने की दशा में विधानसभा अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा;

(घ) "राज्य सतर्कता आयोग" से राज्य में गठित होने वाला राज्य सतर्कता आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) "शिकायत" से ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, की गई ऐसी कोई शिकायत अभिप्रेत है, जिसमें यह अभिकथन हो कि किसी लोक सेवक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है।

(च) "अन्वेषण" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ज) के अधीन यथा परिभाषित कोई अन्वेषण अभिप्रेत है;

(छ) "न्यायिक सदस्य" से लोकायुक्त का कोई ऐसा न्यायिक सदस्य अभिप्रेत है, जो उस रूप में नियुक्त किया गया हो;

(ज) "लोकायुक्त" से धारा 3 के अधीन स्थापित निकाय अभिप्रेत है;

(झ) "सदस्य" से लोकायुक्त का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ञ) "मंत्री" से राज्य सरकार का कोई मंत्री अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री नहीं है;

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ठ) "प्रारंभिक जांच" से इस अधिनियम के अधीन की गई कोई जांच अभिप्रेत है;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा "विहित" अभिप्रेत है;

(ढ) "लोक सेवक" से धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ज) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ण) "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

(त) "नियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है;

(थ) "विशेष न्यायालय" से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी विशेष न्यायाधीश का न्यायालय अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिए गए हैं।

(3) इस अधिनियम में किसी ऐसे अन्य अधिनियम या उसके उपबंध के, जो ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, प्रवृत्त नहीं है, के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त तत्सम्बंधी अधिनियम या उसके उपबंध के प्रति कोई निर्देश है।

अध्याय 2

लोकायुक्त की स्थापना

लोकायुक्त की स्थापना

3.(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "लोकायुक्त" ज्ञात नाम से एक संस्था की स्थापना की जाएगी।

(2) लोकायुक्त निम्नलिखित से संरचित होगा–

(क) एक अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या कोई ऐसा विख्यात व्यक्ति, जो उपधारा (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट पात्रता को पूरा करता है; और

(ख) उतने सदस्य, जो चार से अधिक नहीं होगें जिनमें से पचास प्रतिशत न्यायिक सदस्य होंगे:

परन्तु लोकायुक्त के सदस्यों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गो से संबद्ध व्यक्तियों और महिलाओं में से होंगे।

(3) कोई व्यक्ति–

(क) किसी न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।

परन्तु यह और कि न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र होगा यदि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खण्ड 2 (क) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता हो, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त नामों की सूची(पैनल) से ;

(ख) न्यायिक सदस्य से भिन्न किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि वह निर्दोष सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी है, विधि और प्रबंधन से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान और पच्चीस वर्ष से अन्यून की विशेषज्ञता है।

(4) अध्यक्ष या कोई सदस्य–

(एक) संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान–मंडल का कोई सदस्य नहीं होगा,

(दो) नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का दोषसिद्ध कोई व्यक्ति नहीं होगा,

(तीन) यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख को पैंतालीस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति नहीं होगा;

(चार) किसी पंचायत या नगरपालिका का कोई सदस्य नहीं होगा;

(पांच) ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, जिसे संघ या किसी राज्य की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है, और वह विश्वास या लाभ का कोई पद (अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके पद से भिन्न) धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से

सहबद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा और तद्नुसार अपना पदग्रहण करने से पूर्व, यथास्थिति अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, यदि—

(क) वह विश्वास या लाभ का कोई पद धारण करता है तो ऐसे पद से त्यागपत्र देगा; या

(ख) वह कोई कारोबार कर रहा है, तो ऐसे कारोबार के संचालन और प्रबंधन से अपना संबंध समाप्त कर देगा; या

(ग) वह कोई वृत्ति कर रहा है, तो ऐसा वृत्ति नहीं करेगा।

चयन समिति की सिफारिशों पर अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति

4.(1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से संचरित चयन समिति की सस्तुति प्राप्त करने के पश्चात् की जायेंगी–

(क)	मुख्यमंत्री—	अध्यक्ष
(ख)	विधानसभा का अध्यक्ष–	सदस्य
(ग)	विधानसभा में विपक्ष का नेता–	सदस्य
(घ)	उत्तराखण्ड राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश	सदस्य
(ड)	पूर्ववर्ती खण्ड (क) से खण्ड (घ) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा संस्तुत राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला एक विख्यात विधिवेत्ता	सदस्य

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई रिक्ति विद्यमान है।

(3) चयन समिति, लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के प्रायोजनो के लिए और उस रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने हेतु न्यूनतम 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की, जिनके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सर्तकता, नीति निर्माण, वित्त जिसके अन्तर्गत बीमा और बैंककारी भी है, विधि और

प्रबंधन से सम्बधित विषयों में या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो चयनसमिति की राय में लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने में उपयोगी हो सकेगा, विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता प्राप्त है, खोजबीन समिति का गठन करेगी, जोकि अध्यक्ष एवं सदस्य के चयन हेतु 3 गुना नामों की संस्तुति करेगी;

परन्तु यह कि लोकायुक्त के प्रथम अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु अधिनियम के प्रभावी होने से 45 दिन के पूर्व खोजबीन समिति का गठन कर लिया जाएगा;

परन्तु यह और कि चयन समिति, खोजबीन समिति द्वारा संस्तुत किए गए व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति पर भी विचार कर सकेगी।

(4) चयन समिति लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के लिए पारदर्शी रीति में स्वयं अपनी प्रकिया विनियमित करेगी।

(5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट खोजबीन समिति की कार्यवधि उसके सदस्यों को संदेय भत्ते तथा नामों के पैनल के चयन की रीति ऐसी होगी, जैसी विहित की जाए।

अध्यक्ष या सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना

5. राज्यपाल, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि की समाप्ति के क्रम में न्यूनतम 3 मास पूर्व इस अधिनियम में अधिकथित प्रकिया के अनुसार नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवश्यक उपाय करेगा या कराएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि

6. अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, चयन समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुद्रा से अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करता है, 5 वर्ष की अवधि तक या उसके द्वारा 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस रूप में अपना पद धारण करेगा:

परन्तु–

(क) वह राज्यपाल को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद

त्याग सकेगा, या

(ख) उसे धारा 37 में उपबन्धित रीति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा।

अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें।

7.(एक)अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हैं,

(दो) अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की हैं;

परन्तु यह कि यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपनी नियुक्ति के समय राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन (निःशक्ता पेंशन से भिन्न) प्राप्त करता है तो, यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से—

(क) उस पेंशन की धनराशि को, और

(ख) यदि ऐसी नियुक्ति से पूर्व ऐसी सेवा की बाबत उसको शोध्य पेंशन के किसी भाग के बदले उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की धनराशि को घटा दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन में उसकी सेवा की अन्य शर्तो में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों का पद पर न रहने के पश्चात नियोजन पर निर्बन्धन

8.(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, पद पर न रहने के पश्चात्;—

(एक) लोकायुक्त अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

(दो) किसी राजनयिक कर्तव्यभार, किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसे अन्य कर्तव्यभार या नियुक्ति के लिए, जो राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से अधिपत्र द्वारा किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है, पात्र नहीं होगा;

(तीन) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी

अन्य नियोजन के लिए पात्र नहीं होगा,

(चार) पद त्याग करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति या संसद के किसी भी सदन के सदस्य या राज्य विधान–मंडल के किसी भी सदन या नगरपालिका या पंचायत के सदस्य का कोई निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उसकी कुल पदावधि 5 वर्ष से अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रायोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता कि जहां सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उसकी पदावधि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना

9(1) राज्यपाल, अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा उसका पद रिक्त होने की दशा में,उस रिक्ति को भरने के लिए किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक, वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) जब अध्यक्ष, छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उपलब्ध ऐसा वरिष्ठतम सदस्य जिसे राज्यपाल अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करें उस तारीख तक जिसको अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को पुनः ग्रहण नहीं कर लेता है, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा।

लोकायुक्त का सचिव , अन्य अधिकारी तथा कर्मचारीवृंद

10(1) लोकायुक्त का सचिव, उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रमुख सचिव के स्तर का होगा, जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित नामों की सूची (पैनल) से राज्य सरकार की सहमति से अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(2) उसमें एक जांच निदेशक और एक अभियोजन निदेशक होगा जो राज्य सरकार के सचिव या समतुल्य पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के पैनल में से अध्यक्ष

द्वारा की जाएगी।

(3) लोकायुक्त के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की नियुक्ति लोकायुक्त के अध्यक्ष या ऐसे सदस्य या अधिकारी द्वारा की जाएगी, जैसा अध्यक्ष निर्देश दे;

परन्तु यह कि राज्यपाल नियम द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे किसी पद या किन्हीं पदों की बाबत, जो नियम में विनिर्दिष्ट किए जांए नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात, की जाएगी;

(4) विधानसभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधो के अधीन रहते हुए लोकायुक्त के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तें वही होंगी, जो लोकायुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जांए;

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन बनाए गए विनियमों के लिए, जहां तक उनका संबंध वेतन, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से है, राज्यपाल का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

अध्याय 3

जांच प्रकोष्ठ

जांच प्रकोष्ठ

11.(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोकायुक्त, 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' के अधीन दंडनीय ऐसे किसी अपराध की जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है प्रारम्भिक जांच करने के प्रयोजन के लिए, एक जांच प्रकोष्ठ का गठन करेगा, जिसका अध्यक्ष जांच निदेशक होगा।

परंतु राज्य सरकार लोकायुक्त द्वारा जांच प्रकोष्ठ का गठन किए जाने के समय तक इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भिक जांच करने के लिए ऐसे विभागों से उतनी संख्या में अधिकारी और कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी, जितने लोकायुक्त द्वारा अपेक्षित हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई प्रारम्भिक जांच करने में लोकायुक्त की सहायता करने के प्रयोजनों के लिए, जांच प्रकोष्ठ के ऐसे अधिकारियों को जो राज्य सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों, वहीं शक्तियां प्राप्त होंगी जो धारा 27 के अधीन लोकायुक्त के जांच प्रकोष्ठ को प्रदत्त की जायें।

अध्याय–4
अभियोजन प्रकोष्ठ

अभियोजन प्रकोष्ठ

12.(1) लोकायुक्त, इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त द्वारा किसी शिकायत के सम्बंध में, लोक सेवकों का अभियोजन करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा एक अभियोजन प्रकोष्ठ का गठन कर सकेगा, जिसका अध्यक्ष अभियोजन निदेशक होगा;

परन्तु यह कि राज्य सरकार लोकायुक्त द्वारा अभियोजन प्रकोष्ठ का गठन किए जाने के समय तक इस अधिनियम के अधीन अभियोजन करने के लिए अपने ऐसे विभागों से उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी, जितने लोकायुक्त द्वारा अपेक्षित हो।

(2) अभियोजन निदेशक लोकायुक्त द्वारा इस प्रकार निदेश दिए जाने के पश्चात् विशेष न्यायालय के समक्ष अन्वेषण रिपोर्ट के निष्कर्षो के अनुसार मामला फाइल करेगा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के सम्बंध में लोकसेवकों के अभियोजन के सम्बन्ध में सभी आवश्यक उपाय करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन मामले को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 में निर्दिष्ट अन्वेषण के पूरा होने पर फाइल की गई रिपोर्ट समझा जाएगा।

अध्याय–5
लोकायुक्त के व्यय का राज्य की संचित निधि पर भारित होना

लोकायुक्त के व्ययों का राज्य की संचित निधि पर भारित होना

13. लोकायुक्त के प्रशासनिक व्यय जिसके अन्तर्गत लोकायुक्त के अध्यक्ष,

सदस्यों या सचिव या अन्य अधिकारियों या कर्मचारिवृंद को या उनके सम्बन्ध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन भी है, राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाएगा और लोकायुक्त द्वारा ली गई कोई फीस या अन्य धनराशियाँ उस निधि के भागरूप होंगी।

अध्याय–6
जांच के सम्बंध में अधिकारिता

मुख्यमंत्री,मंत्रियों, विधान सभा सदस्यों, राज्य सरकार के समूह क,ख,ग,घ अधिकारियों और पदाधिकरियों का लोकायुक्त की अधिकारिता के अन्तर्गत होना

14.(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधो के अधीन रहते हुए लोकायुक्त निम्नलिखित के सम्बन्ध में किसी शिकायत में किए गए भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन में अंतर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे संबद्ध किसी मामले की जांच करेगा या जांच कराएगा,

अर्थात:—

(क) कोई ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है या रहा है;

परंतु यह कि लोकायुक्त मुख्यमंत्री के विरूद्ध भ्रष्टाचार के किसी ऐसे अभिकथन में अंतर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे संबद्ध किसी मामले की उस दशा में जांच नहीं करेगा:–

(एक)जब तक लोकायुक्त के अध्यक्ष और सभी सदस्यों से मिलकर बनी उसकी पूर्ण न्यायापीठ जांच आरम्भ करने के बारे में विचार नहीं करती है और उसके न्यूनतम चार सदस्य ऐसी जांच का अनुमोदन नहीं करते है,

परंतु यह और कि ऐसी कोई जांच बंद कमरे में कराई जाएगी और यदि लोकायुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत को खारिज कर दिया जाए तो जांच के अभिलेख प्रकाशित नहीं किए जाऐंगें या किसी को उपलब्ध नहीं कराए जाऐंगें,

(ख) कोई व्यक्ति जो राज्य का मंत्री है या रहा है,

(ग) कोई व्यक्ति जो राज्य विधान सभा का सदस्य है या रहा है,

(घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का धारा 2 के खंड (ग) के उपखण्ड (एक) और उपखण्ड (दो) में परिभाषित लोक सेवकों में से समूह 'क' या समूह 'ख' का कोई अधिकारी या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर अधिकारी, जब वह राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवारत है या जिसने सेवा की है,

(ङ) धारा 20 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के उपखण्ड (एक) और उपखण्ड (दो) में परिभाषित लोक सेवकों में से समूह 'ग' या समूह 'घ' का कोई पदाधिकारी या उसके समतुल्य पदाधिकारी, जब वह राज्य के कार्यो के सम्बन्ध में सेवारत है या जिसने सेवा की है,

(च) ऐसा कोई व्यक्ति जो विधानसभा के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) का अध्यक्ष या सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी है या रहा है।

(छ) कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) को चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसकी वार्षिक आय ऐसी धनराशि से अधिक है, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है,

(ज) ऐसा कोई व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय (विनियम), 2010 के अधीन किसी विदेशी स्रोत से एक वर्ष में दस लाख रू0 के आधिक्य में या ऐसी उच्चतर राशि जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट

करें का संदाय प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है।

स्पष्टीकरण–खण्ड (च) और खण्ड (छ) के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई ऐसी इकाई या संस्था चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, निगम, सोसाइटी या न्यास या व्यक्ति संगम, भागीदारी एकल स्वत्वधारिता, परिसीमित दायित्व वाली भागीदारी (चाहे तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) उन खण्डों के अन्तर्गत आने वाली इकाइयां होगी;

परन्तु यह कि इस खण्ड में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खण्ड (ग) के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा और उस अधिनियम के उपबंध तद्नुसार उस पर लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, लोकायुक्त विधानसभा के किसी सदस्य के विरूद्ध उसके द्वारा विधानसभा में या संविधान के अनुच्छेद 194 के खंड (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अंतर्गत आने वाली उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में भ्रष्टाचार के किसी ऐसे अभिकथन में अंतर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे संबद्ध किसी मामले की जांच नहीं करेगा।

(3) लोकायुक्त उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति के किसी कार्य या आचरण के बारे में जांच कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरूद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन से संबंधित दुष्प्रेरण करने, रिश्वत देने या रिश्वत लेने या षडयंत्र करने के कार्य में संलिप्त है।

(4) ऐसा कोई मामला, जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त को कोई शिकायत की गई है, 'जांच आयोग अधिनियम, 1952' के अधीन जांच के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई शिकायत केवल ऐसी अवधि से संबद्ध होगी, जिसके दौरान लोक सेवक उस हैसियत में पद धारण कर रहा था या सेवारत रहा था।

लोकायुक्त से किसी न्यायालय या समिति प्राधिकारी के समक्ष जॉच के लिए लम्बित मामलों का प्रभावित न होना।

15 यदि 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' के अधीन भ्रष्टाचार के अभिकथन से संबधित कोई मामला या कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी जांच के प्रारंभ के पूर्व किसी न्यायालय या विधानसभा के किसी भी समिति के समक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित पड़ी हुई है, तो ऐसा मामला या कार्यवाही उस न्यायालय, समिति या प्राधिकारी के समक्ष यथावत बनी रहेगी।

लोकायुक्त की न्यायपीठों का गठन

16(1.) इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन रहते हुए–

(क) लोकायुक्त की अधिकारिता का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा।

(ख) कोई न्यायपीठ अध्यक्ष द्वारा दो या अधिक सदस्यों के साथ, जो अध्यक्ष ठीक समझे गठित की जा सकेगी।

(ग) प्रत्येक न्यायपीठ में साधारणतया न्यूनतम एक न्यायिक सदस्य होगा।

(घ) जहां कोई न्यायपीठ अध्यक्ष से मिलकर बनती है, वहां उस न्यायपीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(ङ) जहां कोई न्यायपीठ न्यायिक सदस्य और ऐसे गैर–न्यायिक सदस्य से मिलकर बनती है जो अध्यक्ष नहीं है, वहां उस न्यायपीठ की अध्यक्षता न्यायिक सदस्य द्वारा की जाएगी।

(च) लोकायुक्त की न्यायपीठें साधारणतया देहरादून में अधिविष्ट होगी।

(2) किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष को समय–समय पर न्यायपीठों का गठन या पुनर्गठन करने की शक्ति होगी।

(3) यदि किसी मामले या विषय की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष या किसी सदस्य को यह प्रतीत होता है कि वह मामला या विषय ऐसी प्रकृति

का है कि उसकी सुनवाई तीन या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी न्यायपीठ द्वारा की जानी चाहिए तो उस मामले या विषय को अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, अंतरित किया जा सकेगा या अंतरण के लिए उसे ऐसी न्यायपीठ को अंतरित किए जाने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा, जिसे अध्यक्ष ठीक समझे।

न्यायपीठों के बीच कार्य का वितरण

17. जहां न्यायपीठों गठित की जाती है, वहां अध्यक्ष समय–समय पर अधिसूचना द्वारा, लोकायुक्त के कार्यो का न्यायपीठों के बीच कार्य वितरण करने के बारे में उपबंध कर सकेगा और उन विषयों का भी उपबंध कर सकेगा, जिन पर प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा कार्यवाई की जा सकेगी।

अध्यक्ष की मामलें अन्तरित करने की शक्ति

18. अध्यक्ष, शिकायतकर्ता या लोक सेवक द्वारा अंतरण के लिए किए गए किसी आवेदन पर यथास्थिति, शिकायतकार्ता या लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटारे के लिए किसी अन्य न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगा।

विनिश्चय का बहुमत द्वारा लिया जाना।

19. यदि समसंख्या में सदस्यों से मिलकर बनी किसी न्यायपीठ के सदस्यों के बीच किसी मामले पर मतभेद है, तो वे उस मामले या मामलों का, जिन पर उनमें मतभेद है कथन करेंगे और अध्यक्ष को निर्देश करेगें, जो या तो स्वंय उस मामले, या मामलों पर सुनवाई करेगा या लोकायुक्त के एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा ऐसे मामले या मामलों पर सुनवाई के लिए मामले को निर्दिष्ट करेगा और उस मामले या मामलों का विनिश्चय लोकायुक्त के उन सदस्यों की बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, जिन्होने मामले की सुनवाई की है, जिसके अंतर्गत वे सदस्य भी है जिन्होनें उसकी पहले सुनवाई की थी।

अध्याय 7

प्रारंभिक जांच और अन्वेषण के संबंध में प्रकिया

शिकायतों और प्रारम्भिक जाँच तथा अन्वेषण से सम्बन्धित उपबन्ध

20(1) लोकायुक्त कोई शिकायत प्राप्त करने पर सर्वप्रथम यह तय करेगा कि मामले में अग्रतर कार्यवाही की जाए अथवा इसे बंद किया जाए और यदि वह आगे कार्यवाही करने का विनिश्चय करता है तो; वह

(क) अपने जांच प्रकोष्ठ या किसी अभिकरण द्वारा यह अभिनिश्चित करने के संबंध में कि क्या मामले में कार्यवाही किए जाने के लिए कोई प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है, किसी लोक सेवक के विरूद्ध प्रारंभिक जांच करने का आदेश दे सकेगा; या

(ख) यदि लोकायुक्त ने प्रारंभिक जांच में अग्रत्तर कार्यवाही का विनिश्चय किया हो तो वह किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा समूह 'क' या समूह 'ख' या समूह 'ग' या समूह 'घ' के किन्हीं लोक सेवकों के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों या शिकायतों के किसी वर्ग या किसी शिकायत को राज्य सतर्कता आयोग को निर्दिष्ट कर सकेगा।

राज्य सतर्कता आयोग उसे निर्दिष्ट की गई शिकायतों के संबंध में, समूह 'क' और 'ख' के लोक सेवकों की बाबत उपधारा (2) और उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार प्रारम्भिक जांच करने के पश्चात् लोकायुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और समूह 'ग' और समूह 'घ' के लोक सेवकों के मामले में राज्य सतर्कता आयोग जांचकर यदि कार्यावाही प्रस्तावित हो तो सक्षम प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सक्षम प्राधिकारी 6 माह के भीतर कार्यावाही कर अवगत कराएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रारंभिक जांच के दौरान, जांच प्रकोष्ठ या कोई अभिकरण, शिकायत में किए गए अभिकथनों पर प्रारंभिक जांच करेगा और उसमें संगृहीत सामग्री, सूचना और दस्तावेजों के आधार पर लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से टिप्पणियों की ईप्सा करेगा और संबंधित लोक

सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी से टिप्पणी अभिप्राप्त करने के पश्चात, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर लोकायुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) लोकायुक्त के दो से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक न्यायपीठ जांच प्रकोष्ठ या किसी अभिकरण से उपधारा (2) के अधीन प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर इस बात का विनिश्चय करने के लिए विचार करेगी कि क्या प्रथमदृष्टया कोई मामला बनता है और लोक सेवक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाहियों में से एक या अधिक के संबंध में निर्णय लेगी, अर्थात–

(क) यथास्थिति किसी अभिकरण द्वारा अन्वेषण।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्यवाही का आरंभ किया जाना।

(ग) लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाहियों को बंद किया जाना और धारा 46 के अधीन शिकायतकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रारंभिक जांच साधारणतया शिकायत की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से 90 दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

(5) यदि लोकायुक्त शिकायत का अन्वेषण करने की कार्यवाही करने का विनिश्चय करता है तो वह किसी अभिकरण को यथासाध्य शीघ्र अन्वेषण करने का निदेश देगा और अपने आदेश की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करने का निदेश देगा।

परंतु यह कि लोकायुक्त लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उक्त अवधि को एक बार में, छह मास से अनधिक की और अवधि तक बढ़ा सकेगा।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 में किसी बात के होते भी, कोई अभिकरण लोकायुक्त द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध मे अन्वेषण रिपोर्ट लोकायुक्त को प्रेषित करेगा।

(7) लोकायुक्त के दो से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक न्यायपीठ उसके द्वारा उपधारा (6) के अधीन किसी अभिकरण से प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात–

(क) अपने अभियोजन प्रकोष्ठ या अन्वेषण अभिकरण को लोक सेवक के विरूद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र फाइल किए जाने या मामला बंद किए जाने की रिपोर्ट फाइल करने का निदेश दे सकेगी।

(ख) सक्षम प्राधिकारी को संबंधित लोक सेवक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्यवाही प्रारंभ किए जाने का निदेश दे सकेगी।

(8) लोकायुक्त आरोप–पत्र फाइल किए जाने पर उपधारा (7) के अधीन कोई विनिश्चय करने के पश्चात, अपने अभियोजन प्रकोष्ठ या किसी अन्वेषण अभिकरण को अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों के संबंध में विशेष न्यायालय में अभियोजन आरंभ करने का निदेश दे सकेगा।

(9) लोकायुक्त यथास्थिति, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के दौरान, यथास्थिति, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा संबंधी ऐसे समुचित आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(10) लोकायुक्त की वेबसाइट पर समय–समय पर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसके समक्ष लंबित शिकायतों या उसके द्वारा निपटाई गई शिकायतों की प्रास्थिति जनता के लिए प्रदर्शित की जाएगी।

(11) लोकायुक्त ऐसे मूल अभिलेखों और साक्ष्यों को प्रतिधारित कर सकेगा, जिनकी उसके द्वारा या विशेष न्यायालय द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच या अन्वेषण या संचालन की प्रक्रिया में आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

(12) इसमें यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने (जिसके अंतर्गत लोक सेवक को उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सामग्री और दस्तावेज भी है) की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

प्रतिकूल रूप से प्रभावित की सम्भावना वाले व्यक्तियों का सुना जाना

21. यदि कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर लोकायुक्त–

(क) अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में जांच करना आवश्यक समझता है, या

(ख) की यह राय है कि अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रारंभिक जांच से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो लोकायुक्त उस व्यक्ति को प्रारंभिक जांच में सुने जाने का और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो से संगत युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

लोकायुक्त द्वारा किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से सूचना आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना

22. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के प्रयोजन के लिए यथास्थिति लोकायुक्त या अन्वेषण अधिकरण, किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से जो उसकी राय में ऐसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से सुसंगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम है, ऐसी कोई सूचना देने या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

अभियोजन प्रारम्भ करने के लिए मंजूरी देने की लोकायुक्त की शक्ति

23.(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 तथा 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' की धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लोकायुक्त को धारा 20 की उपधारा (7) के खण्ड (क) के अधीन अभियोजन प्रारंभ करने की मंजूरी देने की शक्ति होगी।

(2) किसी ऐसें लोक सेवक जिस पर उसके द्वारा उसके शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्यवाही करते हुए या तात्पर्यित रूप से कार्यवाही करते हुए अभिकथित रूप से कोई अपराध करने का आरोप लगाया गया है, के विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन कोई अभियोजन आरंभ नहीं किया जाएगा और कोई न्यायालय लोकायुक्त की पूर्व मंजूरी के सिवाय ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में, जो संविधान के उपबंधों के अनुसरण में पद धारण कर रहे है और जिनके संबंध में ऐसे व्यक्ति को हटाने की प्रकिया उसमें विनिर्दिष्ट की गई है, लागू नहीं होगी।

(4) उपधारा (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध संविधान के अनुच्छेद 311 और अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उपखंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगें।

ऐसे लोक सेवक के विरूद्ध जो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधान सभा सदस्य है, अन्वेषण पर कार्यवाही

24. जहां अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात लोकायुक्त के निष्कर्षो से धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड(ग)में निर्दिष्ट किसी लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रकटन होता है, वहां लोकायुक्त विशेष न्यायालय में मामला फाईल कर सकेगा और अपने निष्कर्षो के साथ रिपोर्ट की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।

अध्याय 8

लोकायुक्त की शक्तियां

लोकायुक्त की अधीक्षण संबंधी शक्तियां

25.(1) लोकायुक्त को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त द्वारा प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में अधीक्षण करने और निदेश देने की शक्तियां ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाय;

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन अधीक्षण या निर्देश देने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकायुक्त शक्तियों का प्रयोग ऐसी रीति में नहीं करेगा जिससे किसी मामलें में किसी विशिष्ट रीति से अन्वेषण करने और उसे निपटाने की अपेक्षा की जा सके।

(2) राज्य सर्तकता आयोग को निर्दिष्ट की गई शिकायतों पर की गई कार्यवाही के संबंध में लोकायुक्त को ऐसे अन्तराल पर जो लोकायुक्त निदेश दे, विवरण भेजेगा और ऐसे विवरण को प्राप्त करने पर लोकायुक्त उन मामलों

के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकेगा।

(3) लोकायुक्त द्वारा किसी मामले का अन्वेषण करने वाले उसके किसी अधिकारी को लोकायुक्त की अनुमति के बिना अन्तरित नहीं किया जाएगा।

(4) लोकायुक्त को लोकायुक्त द्वारा निर्दिष्ट मामलों का संचालन करने के लिए सरकारी अधिवक्ताओं से भिन्न अधिवक्ताओं के एक पैनल की नियुक्ति करने की शक्ति होगी।

(5) राज्य सरकार समय–समय पर लोकायुक्त द्वारा निर्दिष्ट मामलों का, प्रभावी अन्वेषण करने के लिये अपेक्षित निधियां उपलब्ध करायेगी

तलाशी और अभिग्रहण

26.(1) यदि लोकायुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा कोई दस्तावेज, जो उसकी राय में, इस अधिनियम के अधीन किसी प्रारम्भिक जांच के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत होगा, किसी स्थान में छिपाया गया है तो ऐसे किसी अभिकरण को जिसे अन्वेषण का कार्य सौंपा गया है, ऐसे दस्तावेजों की तलाशी लेने और उनका अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) यदि लोकायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत किसी दस्तावेज को इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और यह कि ऐसे दस्तावेज को उसकी अभिरक्षा में या ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में, जो प्राधिकृत किया जाए प्रतिधारित करना आवश्यक होगा तो वह ऐसा अन्वेषण पूरा हो जाने तक ऐसे दस्तावेज को उस प्रकार प्रतिधारित करेगा या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को, उन्हें प्रतिधारित करने का निदेश दे सकेगा।

परन्तु यह कि जहां किसी दस्तावेज को वापस करना अपेक्षित है, वहां लोकायुक्त या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे दस्तावेज की सम्यक, रूप से अधिप्रमाणित प्रतियों को प्रतिधारित करने के पश्चात उसे वापस कर सकेगा।

कतिपय मामलों में लोकायुक्त को सिविल न्यायालय की शक्तियां होना

27.(1) इस धारा के उपबंधो के अधीन रहते हुए किसी प्रारंभिक जांच के प्रयोजन के लिए लोकायुक्त के जांच प्रकोष्ठ को, मामले का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होगी अर्थात:–

(एक) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(दो) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(तीन) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(चार) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(पांच) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

परंतु किसी साक्षी की दशा में ऐसा कमीशन केवल वहां निकाला जाएगा, जहां लोकायुक्त की राय में साक्षी लोकायुक्त के समक्ष कार्यवाहियों में हाजिर होने की स्थिति में नहीं है; और

(छः) अन्य ऐसे विषय, जो विहित किए जाए।

(2) लोकायुक्त के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने की लोकायुक्त की शक्ति

28.(1) लोकायुक्त कोई प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के किसी अधिकारी या संगठन या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

(2) ऐसी जांच या अन्वेषण से संबंधित किसी मामले में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा कोई अधिकारी या संगठन या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है लोकायुक्त के अधीक्षण और निदेशन के अधीन रहते हुए–

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और उपस्थित करा सकेगा तथा

उसकी जांच कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यापेक्षा कर सकेगा;

(3) वह अधिकारी या संगठन या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (2) के अधीन किया जाता है, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से संबंधित किसी मामले की, यथास्थिति जांच या अन्वेषण करेगा और लोकायुक्त को, ऐसी अवधि के भीतर, जो इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आस्तियों की अनन्तिम कुर्की

29.(1) जहां लोकायुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है, ऐसे विश्वास के कारण को लेखबद्ध किया जाएगा कि—

(क) किसी व्यक्ति के कब्जे में भ्रष्टाचार का कोई आगम है,

(ख) ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित कोई अपराध कारित करने का अभियुक्त है, और

(ग) अपराध के ऐसे आगमों को छिपाने, अंतरित करने या ऐसी रीति से बरतने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप अपराध के ऐसे आगमों के अधिहरण से संबंधित कोई कार्यवाहियां विफल हो सकेगी,

वहां लोकायुक्त या प्राधिकृत अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा ऐसी संपत्ति को, ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक अवधि के लिए, आय–कर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में उपबंधित रीति में, अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा और लोकायुक्त को उस अनुसूची के नियम 1 के उप नियम (ड.) के अधीन कोई अधिकारी समझा जाएगा।

(2) लोकायुक्त या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन कुर्की के तुरंत पश्चात आदेश की एक प्रति उस उपधारा में निर्दिष्ट उसके कब्जे में की सामग्री सहित एक सीलबंद लिफाफे में उस रीति में जो विहित की जाए विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा और ऐसा न्यायालय कुर्की के आदेश को विस्तारित कर सकेगा और ऐसी सामग्री को ऐसी अवधि के लिए जो न्यायालय ठीक समझे रख सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया कुर्की का प्रत्येक आदेश, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् या उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा यथानिदेशित अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रभावी नहीं रहेगा।

(4) इस धारा की कोई बात उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कुर्क की गई स्थावर संपति के उपभोग में हितबद्ध किसी व्यक्ति को ऐसे उपभोग से निवारित नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ किसी स्थावर संपति के संबंध में "हितबद्ध व्यक्ति" के अंतर्गत उस संपत्ति में किसी हित का दावा करने वाले या दावा करने के हकदार सभी व्यक्ति भी है।

आस्तियों की कुर्की की पुष्टि

30.(1) लोकायुक्त जब वह धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन किसी संपति को अनंतिम रूप से कुर्क करता है, ऐसी कुर्की की तीस दिन की अवधि के भीतर अभियोजन प्रकोष्ठ को विशेष न्यायालय के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों का कथन करते आवेदन फाइल करने तथा विशेष न्यायालय में लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाहियों के पूरा होने तक संपति की कुर्की की पुष्टि के लिए प्रार्थना करने का निदेश देगा।

(2) विशेष न्यायालय, यदि उसकी यह राय है कि अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति का अर्जन भ्रष्ट साधनों से किया गया है तो वह विशेष न्यायालय में लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाहियों के पूरा होने तक ऐसी संपति की कुर्की की पुष्टि के लिए आदेश कर सकेगा।

(3) यदि लोक सेवक को बाद में उसके विरूद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाता है तो विशेष न्यायालय के आदेशों के अधीन रहते हुए संपति को ऐसे संपति से फायदों सहित जो कुर्की की अवधि के दौरान उपगत हुए हो, संबंधित लोक सेवक को प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

(4) यदि लोक सेवक को बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध से संबंधित आगमों को अधिहृत किया जाएगा और वे, किसी बैंक या वित्तीय संस्था को शोध्य किसी ऋण को छोड़कर राज्य सरकार में किसी विल्लंगम या पट्टाधृत हित से मुक्त रूप में निहित होगें।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "बैंक" "ऋण" और "वित्तीय संस्था" पदों के वही अर्थ होगें जो बैंको और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 2 के खंड (घ), खंड (छ) और खंड (ज) में कमशः उनके हैं।

विशेष परिस्थितियों में भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा उदभूत या उपाप्त आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों का अधिहरण

31(1) धारा 29 और धारा 30 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां विशेष न्यायालय के पास, प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है या उसका यह समाधान हो जाता है कि आस्तियां, आगम प्राप्तियां और फायदे चाहे जो भी नाम हो, लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा उदभूत या उपाप्त की गई है, वहां वह उसके दोषमुक्त किए जाने तक ऐसी आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों के अधिहरण को प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया अधिहरण का कोई आदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित या बातिल कर दिया जाता है या जहां लोक सेवक को विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है वहां उपधारा (1) के अधीन अभिहृत आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों को ऐसे लोक सेवक को वापस कर दिया जाएगा और यदि किसी कारण से आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों को वापस किया जाना संभव

नहीं है तो ऐसे लोक सेवक को इस प्रकार अधिहृत किए गए धन सहित उसकी कीमत का, अधिहरण की तारीख से उस पर पांच प्रतिशत वार्षिक की दर से परिकलित ब्याज के साथ संदाय किया जाएगा।

भ्रष्टाचार के अभिकथन से सम्बद्ध लोक सेवक के स्थानान्तरण या निलम्बन की सिफारिश करने की लोकायुक्त की शक्ति

32.(1) जहां लोकायुक्त का भ्रष्टाचार के अभिकथनों की प्रारंभिक जांच करते समय, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया यह समाधान हो जाता है कि––

(एक) प्रारंभिक जांच करते समय धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) या खंड (च) में निर्दिष्ट लोक सेवक के अपने पद पर बने रहने से ऐसी प्रारंभिक जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(दो) ऐसे लोक सेवक साक्ष्य को नष्ट या किसी रूप में उसके साथ छेड़छाड़ या साक्षियों को प्रभावित कर सकता है, वहां लोकायुक्त ऐसे लोक सेवक को, ऐसी अवधि तक, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उसके द्वारा धारित पद से स्थानांतरित या निलंबित करने के लिए राज्य को सिफारिश कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार सामान्यतया उपधारा (1) के अधीन की गई लोकायुक्त की सिफारिश को जहां प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना साध्य नहीं है, वहां कारणों को लेखबद्ध करते हुए स्वीकार करेगी अन्यथा नहीं।

प्रारम्भिक जांच के दौरान अभिलेखों के नष्ट किये जाने को रोकने के लिए निदेश देने की लोकायुक्त की शक्ति

33. लोकायुक्त किसी ऐसे लोक सेवक को जिसे किसी दस्तावेज या अभिलेख को तैयार करने या उसकी अभिरक्षा रखने का कार्य सौंपा गया है, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में,

(क) ऐसे दस्तावेज या अभिलेख को नष्ट किए जाने या नुकसान पहुंचाने से उसकी संरक्षा करने; या

(ख) लोक सेवक को ऐसे दस्तावेज या अभिलेख में परिवर्तन करने या उसे छिपाने से रोकने, या

(ग) लोक सेवक को भ्रष्ट साधनों के माध्यम से उसके द्वारा अभिकथित रूप से अर्जित किन्हीं आस्तियों को अंतरित करने या उनका अन्य संक्रमण करने से रोकने, के लिए समुचित निदेश जारी कर सकेगा।

प्रत्यायोजन की शक्ति

34. लोकायुक्त लिखित में, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तो और निबन्धनों के अध्यधीन जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए यह निदेश दे सकेगा कि उसको प्रदत्त किसी प्रशासनिक या वित्तीय शक्ति का, उसके ऐसे सदस्यों या अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा भी, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा।

अध्याय 9
विशेष न्यायालय

राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों को गठित किया जाना

35.(1) राज्य सरकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या इस अधिनियम के अधीन उद्भूत मामलों की सुनवाई और उनका विनिश्चय करने के लिए उतने विशेष न्यायालयों का गठन करेगी, जितने लोकायुक्त द्वारा सिफारिश की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय, न्यायालय में मामले के फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक विचारण का पूरा किया जाना सुनिश्चित करेगा।

परन्तु यह कि यदि विचारण एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो विशेष न्यायालय उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा और उन कारणों सें, जो अभिलिखित किए जाएं, तीन मास से अनधिक की और अवधि के भीतर या ऐसी और अवधियों के भीतर जो तीन मास से अधिक की नहीं होगी, ऐसी प्रत्येक तीन मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व, किंतु दो वर्ष से अनधिक की कुल अवधि के भीतर विचारण को पूरा करेगा।

कतिपय मामलों में संविदाकारी राज्यों को अनुरोध पत्र

36.(1) इस अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या अन्य कार्यवाही में किसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के प्रक्रम में इस निमित्त लोकायुक्त के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विशेष न्यायालय को यह आवेदन किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के संबंध में कोई साक्ष्य अपेक्षित है और उसकी यह राय है कि ऐसा साक्ष्य संविदाकारी राज्य में किसी स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा और विशेष न्यायालय, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा साक्ष्य इस अधिनयम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के संबंध में अपेक्षित है, तो वह एक अनुरोध–पत्र ऐसे अनुरोध पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय या प्राधिकारी को जारी कर सकेगा कि वह––

(एक) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षा करें,

(दो) ऐसे उपाय करें, जो विशेष न्यायालय ऐसे अनुरोध–पत्र में विनिर्दिष्ट करें, और

(तीन) ऐसे लिखे गए या संगृहीत किए गए सभी साक्ष्यों को ऐसा अनुरोध–पत्र जारी करने वाले विशेष न्यायालय को अग्रेषित करें।

(2) अनुरोध पत्र ऐसी रीति में पारेषित किया जाएगा, जो राज्य सरकार इस निमित विहित करें।

(3) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त दस्तावेज या चीज प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के दौरान संगृहीत साक्ष्य समझा जाएगा।

अध्याय 10

लोकायुक्त के अध्यक्ष, सदस्यों और पदाधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें

लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना और उनका निलम्बन

37.(1) लोकायुक्त, अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरूद्ध की गई किसी शिकायत की जांच नहीं करेगा।

(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को,

राज्यपाल द्वारा अथवा विधानसभा के न्यूनतम बारह सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय को किए गए निर्देश पर उस निमित्त विहित प्रकिया के अनुसार की गई किसी जांच पर, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी रिपोर्ट दिए जाने के पश्चात कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, राज्यपाल के आदेश द्वारा, उस आधार पर उसके पद से हटाया जाएगा।

(3) राज्यपाल, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन उच्च न्यायालय को कोई निर्देश किया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिश या अंतरिम आदेश की प्राप्ति पर उच्च न्यायालय की ऐसे निर्देश पर अंतिम रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा।

(4) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्पाल आदेश द्वारा, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसा सदस्य,–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है,

या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगता है,

या

(ग) राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।

या

(घ) वह पक्षपाती हो गया है या भ्रष्टाचार में संलिप्त है।

(5) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या किए गए किसी करार में किसी रूप में संबद्ध या हितबद्ध है या हो जाता है या वह किसी रूप में

उसके लाभ में या किसी सदस्य से भिन्न रूप में और किसी निगमित कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य रूप में उससे उद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धि में भागीदार बनता है, तो उसे उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

लोकायुक्त के पदाधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें

38.(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए लोकायुक्त के अधीन या उससे संबद्ध किसी अधिकारी या कर्मचारी या किसी अभिकरण के विरूद्ध किए गए अभिकथन या दोषपूर्ण कार्य के संबंध में की गई प्रत्येक शिकायत पर इस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्रवाही की जाएगी।

(2) लोकायुक्त, उस शिकायत या अभिकथन की जांच, उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर पूरी करेगा।

(3) लोकायुक्त अथवा लोकायुक्त में नियोजित या उससे संबंद्ध किसी अभिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध शिकायत की जांच करते समय यदि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उसका प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है कि–

(क) जांच करते समय लोकायुक्त या उसमें नियोजित या उससे संबद्ध अभिकरण के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के अपने पद पर बने रहने से ऐसी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या

(ख) लोकायुक्त या उसमें नियोजित या संबद्ध अभिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी साक्ष्य को नष्ट कर सकता है या किसी रूप में उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है या साक्षियों को प्रभावित कर सकता है,

तो, लोकायुक्त आदेश द्वारा, लोकायुक्त के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा या लोकायुक्त में नियोजित या उससे संबद्ध ऐसे अभिकरण को, उसके द्वारा इससे पूर्व प्रयोग की गई सभी शक्तियों और उत्तरदायित्वों से निर्निहित कर सकेगा।

(4) जांच पूरी हो जाने पर, यदि लोकायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध या किसी दोषपूर्ण कार्य के किए जाने का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य है, तो वह ऐसी जांच के पूरा होने के 15 दिन की अवधि के भीतर लोकायुक्त के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या लोकायुक्त में नियोजित या उससे संबद्ध ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण को अभियोजित करने का आदेश करेगा और संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ करेगा;

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश लोकायुक्त के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या उसमें नियोजित या उससे संबद्ध ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

अध्याय 11

विशेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली

विशेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली

39. यदि कोई लोक सेवक विशेष न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो तत्समय प्रवृत किसी विधि के होते हुए भी और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह ऐसे लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक न किए गए कार्यों या विनिश्चयों के कारण और जिनके लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया है, राजकोष को हुई हानि, यदि कोई हो, का निर्धारण कर सकेगा और इस प्रकार सिद्धदोष ठहराए गए लोक सेवक से, ऐसी हानि की, यदि संभव या परिमाणीय मात्रा में हो, वसूली का आदेश कर सकेगा;

परंतु यह कि यदि विशेष न्यायालय, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कारित हानि इस प्रकार सिद्धदोष ठहराए गए लोक सेवक के कार्यों या विनिश्चयों के फायदाग्राही या फायदाग्राहियों के साथ षड़यंत्र के अनुसरण में हुई थी, तो ऐसी हानि,

यदि वह इस धारा के अधीन निर्धारित की गई है और परिमाणीय मात्रा में है, आनुपातिक रूप से ऐसे फायदाग्राही या फायदाग्राहियों से भी वसूल की जा सकेगी।

अध्याय 12

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

बजट

40. लोकायुक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, लोकायुक्त की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को सूचनार्थ अग्रेषित करेगा।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

41. राज्य सरकार निमित्त विधि द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात लोकायुक्त को ऐसी धनराशि अवमुक्त कर सकेगी, जो अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों के लिए और प्रशासनिक खर्चों के लिए, जिनके अंतर्गत लोकायुक्त के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में संदेय वेतन और भत्ते तथा पेंशन भी है, संदत्त की जानी अपेक्षित है।

वार्षिक लेखा विवरण

42.(1) लोकायुक्त उचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाये रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) लोकायुक्त के लेखाओं की संपरीक्षा महालेखाकार द्वारा एसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) महालेखाकार को या इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त के लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया महालेखाकार को प्राप्त हैं और विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संबंधित

वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और लोकायुक्त के कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(4) महालेखाकार या उसके द्वारा निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित लोकायुक्त के लेखाओं को, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रति वर्ष राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और राज्य सरकार उसे विधानसभा के समक्ष रखवाएगी।

राज्य सरकार को विवरणियां आदि प्रस्तुत करना

43. लोकायुक्त राज्य सरकार को ऐसी विवरणियां और विवरण और लोकायुक्त की अधिकारिता के अधीन किसी विषय के संबंध में ऐसी विशिष्टियां, जिनकी राज्य सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे, ऐसे समय पर और ऐसे प्रारूप तथा रीति में, जो विहित की जाए या जैसे राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 13
आस्तियों की घोषणा

आस्तियों की घोषणा

44.(1) प्रत्येक लोक सेवक द्वारा इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन यथा उपबंधित रीति में अपनी आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करेगा।

(2) प्रत्येक लोक सेवक उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को–

(क) उन आस्तियों के संबंध में, जिनका वह, उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक, संयुक्ततः या पृथकतः स्वामी या फायदाग्राही हैं,

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बालकों के दायित्वों के सम्बन्ध में सूचना देगा।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ के समय, उस रूप में अपना पद धारण करने वाला कोई लोक सेवक इस अधिनियम के प्रर्वतन में आने के तीस दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट ऐसी आस्तियों और दायित्वों से संबंधित सूचना देगा।

(4) प्रत्येक लोक सेवक प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई को या उससे पूर्व उस वर्ष की 31 मार्च तक, उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट ऐसी आस्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी सक्षम प्राधिकारी के पास फाइल करेगा।

(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन सूचना और उपधारा (4) के अधीन वार्षिक विवरणी सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में प्रस्तुत की जाएगी जो विहित की जाए।

(6) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक कार्यालय या विभाग के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी विवरण उस वर्ष की 31 अगस्त तक ऐसे कार्यालय या विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए गए हैं।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आश्रित बालक" से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं जिनके पास उपार्जन के कोई पृथक साधन नहीं हैं और अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः लोक सेवक पर आश्रित हैं।

कतिपय मामलों में भ्रष्ट साधनों द्वारा आस्तियों के अर्जन के बारे में उपधारणा

45. यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर या ऐसे कारणों से जो न्यायोचित नहीं हैं,

(क) अपनी आस्तियों की घोषणा करने में असफल रहता है, या

(ख) ऐसी आस्तियों की बावत भ्रामक जानकारी देता है और उसके कब्जे में ऐसी आस्तियां पाई जाती है जिनका प्रकटन नहीं किया गया है या जिनकी बावत भ्रामक जानकारी दी गई थी,तो ऐसी आस्तियों के बारे में, जब तक अन्यथा साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वे लोक सेवक की हैं और उन आस्तियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित की गई हैं:

परंतु यह कि सक्षम प्राधिकारी लोक सेवक को ऐसे न्यूनतम मूल्य, जो विहित किया जाए, से अनधिक की आस्तियों की बाबत सूचना देने से माफी दे सकेगा या छूट प्रदान कर सकेगा।

अध्याय 14

अपराध और शक्तियां

मिथ्या शिकायत के लिए अभियोजन और लोक सेवक को प्रतिकर आदि का संदाय

46.(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो कोई इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या और क्षुद्र या तंग करने वाली शिकायत करता है, वह दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

(2) किसी विशेष न्यायालय के सिवाय, कोई भी न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) कोई भी विशेष न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध मिथ्या, क्षुद्र या तंग करने वाली शिकायत की गई थी, या लोकायुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शिकायत किए जाने पर ही उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेगा अन्यथा नहीं।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के संबंध में अभियोजन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा और ऐसे अभियोजन से संबंधित सभी व्ययों को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति {कोई व्यष्टि या सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास है (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं)} की, इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या शिकायत करने के लिए, दोषसिद्धि की दशा में, ऐसा व्यक्ति ऐसे लोक सेवक को, जिसके विरूद्ध उसने मिथ्या शिकायत की थी, ऐसे लोक सेवक द्वारा मुकदमा लड़ने संबंधी विधिक व्ययों के अतिरिक्त, जो विशेष न्यायालय अवधारित करे, प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

(6) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात सद्भावपूर्वक की गई शिकायतों की दशा में लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,"सद्भावपूर्वक" पद से किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कोई कार्य अभिप्रेत है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 52 के अधीन उसके द्वारा सम्यक, सतर्कता, सावधानी और उत्तरदायित्व की भावना के साथ सद्भावपूर्वक किया गया है या ऐसा विश्वास है कि वह उसके द्वारा किया गया है अथवा तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुगत होने का विश्वास करते हुए किया गया है।

सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास द्वारा मिथ्या शिकायत किया जाना

47.(1) जहां धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास(चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं) द्वारा किया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध के कारित किए जाने के समय ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास का प्रत्यक्ष रूप से भारसाधक था और ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास के कारोबार या कार्यों या कियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी था और साथ ही ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति –संगम या न्यास को भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा:

परंतु यह कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड के लिए उस दशा में दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और यह कि उसने ऐसे अपराध के कारित किए जाने के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं) द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या वह उसकी ओर से किसी उपेक्षा के

कारण कारित हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

अध्याय 15
प्रकीर्ण

लोकायुक्त की रिपोर्ट

48. लोकायुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वह लोकायुक्त द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रति वर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करे और ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर राज्यपाल उसकी एक प्रति, उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जहां लोकायुक्त की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया था, वहां ऐसी अस्वीकृति के कारणों सहित एक स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान सभा के समक्ष रखावाएगा।

लोकायुक्त का तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि से उद्भूत होने वाली अपीलों के संबंध में अंतिम अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करना

49. लोकायुक्त ऐसे मामलों में, जहां विनिश्चय में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन भ्रष्टाचार के निष्कर्ष अंतर्विष्ट हैं, किसी लोक प्राधिकारी द्वारा लोक सेवाओं के परिदान और लोक शिकायतों के निवारण का उपबंध करने संबंधी तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि से उद्भूत होने वाली अपीलों के संबंध में अंतिम अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

50. इस अधिनियम के अधीन किसी लोक सेवक के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं होगी, जो सद्भावपूर्वक की गई हैं या उसके शासकीय कृत्यों के निर्वहन में या उसकी शक्तियों के प्रयोग में की जानी आशयित हैं।

अन्य व्यक्तियों द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

51. लोकायुक्त के विरूद्ध या किसी अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण या किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं होंगी, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी हैं या किये जाने के लिए आशयित है।

लोकायुक्त के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोकसेवक होना

52. लोकायुक्त के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्यवाही कर रहें हों या कार्यवाही करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

कतिपय मामलों में परिसीमा का लागू होना

53. लोकायुक्त ऐसी किसी शिकायत की जांच या अन्वेषण नहीं करेगा, यदि वह शिकायत, उस तारीख से, जिसको उस शिकायत में उल्लिखित अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, सात वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् की जाती है।

अधिकारिता का वर्जन

54. किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसका अवधारण करने के लिए लोकायुक्त इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है।

विधिक सहायता

55. लोकायुक्त ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध उसके समक्ष इस अधिनियम के अधीन कोई शिकायत फाइल की गई है, लोकायुक्त के समक्ष अपने मामले की प्रतिरक्षा करने के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, यदि ऐसी सहायता के लिए अनुरोध किया जाता है।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना

56. इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के कारण प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगें।

इस अधिनियम के उपबंधो का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना

57. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगें न कि उसके अल्पीकरण में ।

नियम बनाने की शक्ति

58.(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले

बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा अर्थात

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट शिकायत का प्ररूप, एवं खोजबीन समिति की कार्यविधि, उसके सदस्यों को सदेय फीस और भत्ते तथा नामों के पैनल के चयन की रीति,

(ख) ऐसा पद या ऐसे पद जिनके सम्बन्ध में धारा 10 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात नियुक्ति की जायेगी,

(ग) ऐसे अन्य विषय, जिनके लिये लोकायुक्त को धारा 27 की उपधारा (1) के खण्ड (छः) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होगी,

(घ) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय को सामग्री के साथ कुर्की का आदेश भेजने की रीति,

(ङ) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन अनुरोधपत्र संप्रेषित करने की रीति,

(च) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट जिसमें धारा 40 के अधीन लोकायुक्त की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किये जायेगें, तैयार करने का प्ररूप एवं समय,

(छ) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखने के लिये प्रारूप और वार्षिक लेखा विवरणों का प्ररूप,

(ज) धारा 43 के अधीन विशिष्टियों सहित विवरणियां और विवरण तैयार करने का प्रारूप और रीति तथा समय,

(झ) धारा 44 की उपधारा (5) के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा फाईल की जाने वाली वार्षिक विवरणी का प्ररूप,

(ञ) ऐसा न्यूनतम मूल्य, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी किसी लोक सेवक को धारा 45 के परन्तुक के अधीन आस्तियों के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करने से माफी दे सकेगा या छूट प्रदान कर सकेगा,

(ट) धारा 48 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके कियाकलापों का संक्षिप्त विवरण हो, तैयार करने का प्ररूप और समय,

(ठ) ऐसा कोई अन्य विषय,जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाये

लोकायुक्त की विनियम बनाने की शक्ति

59.(1) लोकायुक्त, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धो को कियान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थातः–

(क) लोकायुक्त के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द की सेवा शर्तें और ऐसे विषय, जिनके लिए, जहॉ तक उनका सम्बन्ध वेतन, भत्तों, छुट्टी या पेंशन से है, धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन राज्यपाल का अनुमोदन अपेक्षित है,

(ख) धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन लोकायुक्त की न्यायपीठों के अधिविष्ट होने का स्थान,

(ग) लोकायुक्त की वेबसाईट पर धारा 20 की उपधारा (9) के अधीन लम्बित या निपटाई गयी सभी शिकायतों की प्रास्थिति, उनके प्रतिनिर्देश से अभिलेखों और साक्ष्य सहित प्रदर्शित करने की रीति,

(घ) धारा 20 की उपधारा (12) के अधीन कोई प्रारम्भिक जॉच या अन्वेषण करने की रीति और प्रकिया,

(ङ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित या विनिर्दिष्ट किया जाय।

नियमों और विनियमों का रखा जाना

60. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्,यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जायेगा, विधानसभा उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिये सहमत हो जायें या इस बात पर सहमत हो जायें कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह नियम या विनियम, यथा स्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभाव हो जायेगा, किन्तु नियम या विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

61.(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो,

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

अध्याय 16
निरसन एवं व्यावृत्ति

निरसन एवं व्यावृत्ति

62.(1) उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2013) एततद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 एततद्वारा निरसित किया जाता है।

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

आज्ञा से,

के0 डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।

No. 89/XXXVI(3)/2014/05(1)/2014
Dated Dehradun, February 26, 2014

NOTIFICATION
Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Lokayukta Act, 2014'** (Adhiniyam Sankhya 06 of 2014).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 26 February, 2014.

UTTARAKHAND LOKAYUKTA ACT, 2014

An

Act

To provide for the establishment of a body of Uttarakhand Lokayukta to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto.

NOW, THEREFORE, it is

BE it enacted by legislative Assembly in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

PART I
PRELIMINARY

Short title, extent, application and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Uttarakhand Lokayukta Act, 2014.

(*2*) It extends to the whole of Uttarakhand State.

(*3*) For the purpose of preparation, the provision of the act shall come into force at once and the Act shall be operationalized within 180 days from publishing its securing assent.

PART II
LOKAYUKTA FOR THE STATE OF UTTARAKHAND
CHAPTER I
DEFINITIONS

Definitions

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Bench" means a bench of the Lokayukta ;

(b) "Chairperson" means the chairperson of the Lokayukta ;

(c) "Competent authority", in relation to—

(i) the Chief Minister, means the Legislative Assembly;

(ii) a member of the Council of Ministers, means the Chief Minister;

(iii) a member of Legislative Assembly; other than a Minister, means—the Chairman of the Legislative Assembly;

(iv) an officer of the State Government, means the Appointing Authority;

(v) a chairperson or members of any body or Board or corporation or authority or company or society or autonomous body (by whatever name called) established or constituted under any Act of Legislative Assembly or wholly or partly financed by the

State Government or controlled by it, means the Minister in charge of the administrative Ministry of such body or Board or corporation or authority or company or society or autonomous body;

(vi) an officer of any body or Board or corporation or authority or company or society or autonomous body (by whatever name called) established or constituted under any Act of Legislative Assembly or wholly or partly financed by the State Government or controlled by it, means the head of such body or Board or corporation or authority or company or society or autonomous body;

(*vii*) in any other case not falling under sub-clauses (*i*) to (*vi*) above, means such department or authority as the State Government may, by notification, specify:

Provided that if any person referred to in sub-clause (*v*) or sub-clause (*vi*) is also a Member of Legislative Assembly, then, the competent authority shall be the speaker of the Legislative Assembly —

(*d*) "State Vigilance Commission" means to be constituted the State Vigilance Commission;

(*e*) "complaint" means a complaint, made in such form as may be prescribed, alleging that a public servant has committed an offence punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988;

(*f*) "investigation" means an investigation as defined under clause (*h*) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973;

(g) "Judicial Member" means a Judicial Member of the Lokayukta ;

(h) "Lokayukta " means the body established under section 3;

(i) "Member" means a Member of the Lokayukta ;

(j) "Minister" means a State Minister but does not include the Chief Minister;

(k) "notification" means notification published in the Official Gazette and the expression "notify" shall be construed accordingly;

(l) "preliminary inquiry" means an inquiry conducted under this Act;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "public servant" means a person referred to in clauses (*a*) to (*h*) of subsection (1) of section 14:

(o) "regulations" means regulations made under this Act;

(p) "rules" means rules made under this Act;

(q) "Special Court" means the court of a Special Judge appointed under subsection (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(*2*) The words and expressions used herein and not defined in this Act but defined in the Prevention of Corruption Act, 1988, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

(*3*) Any reference in this Act to any other Act or provision thereof which is not in force in any area to which this Act applies shall be construed to have a reference to the corresponding Act or provision thereof in force in such area.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT OF LOKAYUKTA

Establishment of Lokayukta.

3. (*1*) for the purpose of this Act, there shall be established, a body to be called the "Lokayukta".

(*2*) The Lokayukta shall consist of—

(*a*) a Chairperson, who is or has been a Chief Justice of State or is or has been a Judge of the High Court or an eminent person who fulfils the eligibility specified in clause (*b*) of sub-section (*3*); and

(*b*) such number of Members, not exceeding four out of whom fifty percent shall be Judicial Members:

Provided that not less than fifty percent of the Members of the Lokayukta shall be from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities and women.

(*3*) A person shall be eligible to be appointed,—

(*a*) as a Judicial Member if he is or has been a Judge of the high Court ;

provided that as a person shall be eligible to appointed as a judicial member, if he is fulfil the eligibility for being a high court judge, under Art. 217 subsection 2 (a) of The Constitution of India

(*b*) as a Member other than a Judicial Member, if he is a person of

impeccable integrity and outstanding ability having special knowledge and expertise of not less than twenty-five years in the matters relating to anti-corruption policy, public administration, vigilance, finance including insurance and banking, law and management.

(*4*) The Chairperson or a Member shall not be—

(*i*) a member of Parliament or a member of the Legislature of any State or Union territory;

(*ii*) a person convicted of any offence involving moral turpitude;

(*iii*)a person of less than forty-five years of age, on the date of assuming office as the Chairperson or Member, as the case may be;

(*iv*) a member of any Panchayat or Municipality;

(*v*) a person who has been removed or dismissed from the service of the Union or a State, and shall not hold any office of trust or profit (other than his office as the Chairperson or a Member) or be connected with any political party or carry on any business or practise any profession and, accordingly, before he enters upon his office, a person appointed as the Chairperson or a Member, as the case may be, shall, if—

(*a*) he holds any office of trust or profit, resign from such office; or

(*b*) he is carrying on any business, sever his connection with the conduct and management of such business; or

(*c*) he is practising any profession, cease to practise such profession.

Appointment of Chairperson and Members on recommendations of Selection Committee.

4. (*1*) The Chairperson and Members shall be appointed by the Governor after obtaining the recommendations of a Selection Committee consisting of—

(*a*) the Chief Minister — **Chairperson;**

(*b*) the Speaker of the Legislative Assembly — **Member;**

(*c*) the Leader of Opposition Legislative Assembly — **Member;**

(*d*) the Chief Justice of Uttarakhand or a Judge of the High Court nominated by him — **Member;**

(*e*) one eminent jurist nominated by the Governor Recommended by chairperson & member of sub-section (a) to (d) — **Member.**

(*2*) No appointment of a Chairperson or a Member shall be invalid merely by reason of any vacancy in the Selection Committee.

(3) The Selection Committee shall for the purposes of selecting the Chairperson and Members of the Lokayukta and for preparing a panel of persons to be considered for appointment as such, constitute a Search Committee consisting of at least three prestigious persons of standing and having special knowledge and expertise in the matters relating to anti-corruption policy, public administration, vigilance, policy making, finance including insurance and banking, law and management or in any other matter which, in the opinion of the Selection Committee, may be useful in making the selection of the Chairperson and Members of the Lokayukta the search committee recommended 3 times name of the Chairperson and members of the Lokayukta.

Provided that for the selection of the first chairperson and members of the lokayukta, the search committee shall be constituted before 45 days from the application of the Act;

Provided further that Selection Committee may also consider any person other than the persons recommended by the Search Committee.

(4) The Selection Committee shall regulate its own procedure in a transparent manner for selecting the Chairperson and Members of the Lokayukta .

(5) The term of the Search Committee referred to in sub-section (3), the fees and allowances payable to its members and the manner of selection of panel of names shall be such as may be prescribed.

Filling of vacancies of Chairperson or Members

5. The Governor shall take or cause to be taken all necessary steps for the appointment of a new Chairperson and Members at least three months before the expiry of the term of the Chairperson or Member, as the case may be, in accordance with the procedure laid down in this Act.

Term of office of Chairperson and Members

6. The Chairperson and every Member, shall on the recommendations of the Selection Committee, be appointed by the Governor by warrant under his hand and seal and hold office as such for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that he may—

(a) by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office; or

(b) be removed from his office in the manner provided in section 37.

Salary, allowances and other conditions of service of Chairperson and Members.

7. The salary, allowances and other conditions of service of—

(*i*) the Chairperson shall be the same as those of the Chief Justice of State;

(*ii*) other Members shall be the same as those of a Judge of the High Court:

Provided that if the Chairperson or a Member is, at the time of his appointment, in receipt of pension (other than disability pension) in respect of any previous service under the Government of a State, his salary in respect of service as the Chairperson or, as the case may be, as a Member, be reduced—

(*a*) by the amount of that pension; and

(*b*) if he has, before such appointment, received, in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension:

Provided further that the salary, allowances and pension payable to, and other conditions of service of, the Chairperson or a Member shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

Restriction on employment by Chairperson and Members after ceasing to hold office.

8.(*1*) On ceasing to hold office, the Chairperson and every Member shall be ineligible for—

(*i*) re-appointment as the Chairperson or a Member of the Lokayukta ;

(*ii*) any diplomatic assignment, appointment as administrator of a Union territory and such other assignment or appointment which is required by law to be made by the President by warrant under his hand and seal;

(*iii*) further employment to any other office of profit under the Government of India or the Government of a State;

(*iv*) Contesting any election of President or Vice President or Member of either House of Parliament or Member of either House of a State Legislature or Municipality or Panchayat within a period of five years from the date of relinquishing the post.

(*2*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*1*), a Member shall be eligible to be appointed as a Chairperson, if his total tenure as Member and Chairperson does not exceed five years.

Explanation.—For the purposes of this section, it is hereby clarified that where the Member is appointed as the Chairperson, his term of office shall not be more than five years in aggregate as the Member and the Chairperson.

Member to act as Chairperson or to discharge his functions in certain circumstances.

9. (*1*) In the event of occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson by reason of his death, resignation or otherwise, the Governor may, by notification, authorise the senior-most Member to act as the Chairperson until the appointment of a new Chairperson to fill such vacancy.

(*2*) When the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence on leave or otherwise, the senior-most Member available, as the Governor may, by notification, authorise in this behalf, shall discharge the functions of the Chairperson until the date on which the Chairperson resumes his duties.

Secretary, other officers and staff of Lokayukta.

10.(*1*) There shall be a Secretary to the Lokayukta in the rank of Principal Secretary to higher judicial service, who shall be appointed by the Chairperson with the consent of Sate Government from a panel of names sent by the High Court.

(*2*) There shall be a Director of Inquiry and a Director of Prosecution not below the rank of the Secretary to the State Government or equivalent, who shall be appointed by the Chairperson from a panel of names sent by the State Government.

(*3*) The appointment of officers and other staff of the Lokayukta shall be made by the Chairperson or such Member or officer of Lokayukta as the Chairperson may direct:

Provided that the Governor may by rule require that the appointment in respect of any post or posts as may be specified in the rule, shall be made after consultation with the State Public Service Commission.

(*4*) Subject to the provisions of any law made by Legislative Assembly, the conditions of service of secretary and other officers and staff of the Lokayukta shall be such as may be specified by regulations made by the Lokayukta for the purpose:

Provided that the regulations made under this sub-section shall, so far as they relate to salaries, allowances leave or pensions, require the approval of the Governor.

CHAPTER III
INQUIRY WING

Inquiry Wing.

11.(*1*) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Lokayukta shall constitute an Inquiry Wing headed by the Director of Inquiry for the purpose of conducting preliminary inquiry into any offence alleged to have been committed by a public servant

punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988:

Provided that till such time the Inquiry Wing is constituted by the Lokayukta , the State Government shall make available such number of officers and other staff from its Departments, as may be required by the Lokayukta , for conducting preliminary inquiries under this Act.

(*2*) For the purposes of assisting the Lokayukta in conducting a preliminary inquiry under this Act, the officers of the Inquiry Wing not below the rank of the Deputy Secretary to the State Government, shall have the same powers as are conferred upon the Inquiry Wing of the Lokayukta under section 27.

CHAPTER IV
PROSECUTION WING

PROSECUTION WING

12.(*1*) The Lokayukta shall, by notification, constitute a Prosecution Wing headed by the Director of Prosecution for the purpose of prosecution of public servants in relation to any complaint by the Lokayukta under this Act:

Provided that till such time the Prosecution Wing is constituted by the Lokayukta, the State Government shall make available such number of officers and other staff from its Departments, as may be required by the Lokayukta, for conducting prosecution under this Act:

(*2*) The Director of Prosecution shall, after having been so directed by the Lokayukta, file a case in accordance with the findings of investigation report, before the Special Court, and take all necessary steps in respect of the prosecution of public servants in relation to any offence punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988.

(*3*) The case under sub-section (*2*), shall be deemed to be a report, filed on completion of investigation, referred to in section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

CHAPTER V
EXPENSES OF LOKAYUKTA TO BE CHARGED ON CONSOLIDATED FUND OF STATE

Expenses of Lokayukta to be charged on Consolidated Fund of State.

13. The administrative expenses of the Lokayukta, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the Chairperson, Members or Secretary or other officers or staff of the Lokayukta , shall be charged upon the Consolidated Fund of State and any fees or other moneys taken by the Lokayukta shall form part of that Fund.

CHAPTER VI

JURISDICTION IN RESPECT OF INQUIRY

Jurisdiction of Lokayukta to include Chief Minister, Ministers, Members of legislative Assembly, Group A, Group B, Group C and Group D officers and officials of State Government

14.(*1*) Subject to the other provisions of this Act, the Lokayukta shall inquire or cause an inquiry to be conducted into any matter involved in, or arising from, or connected with, any allegation of corruption made in a complaint in respect of the following, namely:—

(*a*) any person who is or has been a Chief Minister:

Provided that the Lokayukta shall not inquire into any matter involved in, or arising from, or connected with, any such allegation of corruption against the Chief Minister,—

(i) unless a full bench of the Lokayukta consisting of its Chairperson and all Members considers the initiation of inquiry and at least four member approves of such inquiry:

Provided further that any such inquiry shall be conducted in camera and if the Lokayukta comes to the conclusion that the complaint deserves to be dismissed, the records of the inquiry shall not be published or shall not available to anyone;

(b) any person who is or has been a Minister of the State;

(c) any person who is or has been a Member of Legislative Assembly;

(d) any Group 'A' or Group 'B' officer or equivalent or Higher Officer, from amongst the public servants defined in sub-clauses (*i*) and (*ii*) of clause (*c*) of section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1988 when serving or who has served, in connection with the affairs of the State;

(e) any Group 'C' or Group 'D' Official or equivalent officials from amongst the public servants defined in sub-clauses (*i*) and (*ii*) of clause (*c*) of section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1988 when serving or who has served in connection with the affairs of the State subject to the provision of sub-section (*1*) of section 20;

(f) such any person who is or has been a chairperson or member or officer or employee in any body or Board or corporation or authority or company or society or trust or autonomous body (whether by whatever name called) established by an Act by the legislative Assembly or wholly or partly financed by the State Government or controlled by it:

(g) any person who is or has been a director, manager, secretary or other officer of every other society or association of persons or trust (whether registered under any law for the time being in force or not), by whatever name called, wholly or partly financed or aided by the State Government and the annual income of which exceeds such amount as the State Government may, by notification, specify;

(*h*) any person who is or has been a director, manager, secretary or other officer of every other society or association of persons or trust (whether registered under any law for the time being in force or not) in receipt of any donation from the public and the annual income of which exceeds such amount as the State Government may by notification specify or from any foreign source under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 in excess of ten lakh rupees in a year or such higher amount as the State Government may, by notification, specify.

Explanation.—For the purpose of clauses (e) and (f), it is hereby clarified that any entity or institution, by whatever name called, corporate, society, trust, association of persons, partnership, sole proprietorship, limited liability partnership (whether registered under any law for the time being in force or not), shall be the entities covered in those clauses:

Provided that any person referred to in this clause shall be deemed to be a public servant under clause (*c*) of section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and the provisions of that Act shall apply accordingly.

(*2*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*1*), the Lokayukta shall not inquire into any matter involved in, or arising from, or connected with, any such allegation of corruption against any Member of either Legislative Assembly in respect of anything said or a vote given by him in Legislative Assembly or any committee thereof covered under the provisions contained in clause (2) of Article 194 of the Constitution.

(*3*) The Lokayukta may inquire into any act or conduct of any person other than those referred to in sub-section (*1*), if such person is involved in

the act of abetting, bribe giving or bribe taking or conspiracy relating to any allegation of corruption under the Prevention of Corruption Act, 1988 against a person referred to in sub-section (1):

(*4*) No matter in respect of which a complaint has been made to the Lokayukta under this Act, shall be referred for inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952.

Explanation.— For the removal of doubts, it is hereby declared that a complaint under this Act shall only relate to a period during which the public servant was holding or serving in that capacity.

Matters pending before any court or committee or authority for inquiry before Lokayukta not to be affected

15. In case any matter or proceeding related to allegation of corruption under the Prevention of Corruption Act, 1988 has been pending before any court or committee of either Legislative Assembly or before any other authority prior to commencement of this Act or prior to commencement of any inquiry after the commencement of this Act, such matter or proceeding shall be continued before such court, committee or authority.

Constitution of benches of Lokayukta

16. (*1*) Subject to the provisions of this Act,—

(*a*) the jurisdiction of the Lokayukta may be exercised by benches thereof;

(*b*) a bench may be constituted by the Chairperson with two or more Members as the Chairperson may deem fit;

(*c*) every bench shall ordinarily consist of at least one Judicial Member;

(*d*) where a bench consists of the Chairperson, such bench shall be presided over by the Chairperson;

(*e*) where a bench consists of a Judicial Member, and a non-Judicial Member, not being the Chairperson, such bench shall be presided over by the Judicial Member;

(*f*) The benches of the Lokayukta shall ordinarily sit at Dehradun.

(2) Notwithstanding anything the Chairperson shall have the power to constitute or reconstitute benches from time to time.

(3) If at any stage of the hearing of any case or matter it appears to the Chairperson or a Member that the case or matter is of such nature that it ought to be heard by a bench consisting of three or more Members, the case or matter may be transferred by the Chairperson or, as the case may be, referred to him for transfer, to such bench as the Chairperson may deem fit.

Distribution of business amongst Benches.

17. Where benches are constituted, the Chairperson may from time to time, by notification, make provisions as to the distribution of the business of the Lokayukta amongst the benches and also provide for the matters which may be dealt with by each bench.

Power of Chairperson to transfer cases

18. On an application for transfer made by the complainant or the public servant, the Chairperson, after giving an opportunity of being heard to the complainant or the public servant, as the case may be, may transfer any case pending before one bench for disposal to any other bench.

Decision to be by majority

19. If the Members of a bench consisting of an even number of Members differ in opinion on any point, they shall state the point or points on which they differ, and make a reference to the Chairperson who shall either hear the point or points himself or refer the case for hearing on such point or points by one or more of the other Members of the Lokayukta and such point or points shall be decided according to the opinion of the majority of the Members of the Lokayukta who have heard the case, including those who first heard it.

CHAPTER VII

PROCEDURE IN RESPECT OF PRELIMINARY INQUIRY AND INVESTIGATION

Provisions relating to complaints and preliminary inquiry and investigation

20.(*1*) The Lokayukta shall, on receipt of a complaint first decide whether to proceed in the matter or close the same and if the Lokayukta decides to proceed further,

(a) it shall order the preliminary inquiry against any public servant by its Inquiry Wing or any agency to ascertain whether there exists a *prima facie* case for proceeding in the matter: or

(b) the Lokayukta shall, if it has decided to proceed with the preliminary Inquiry by a general or special order, refer the complaints or a category of complaints or a complaint received by it in respect of public servants belonging to Group A or Group B or Group C or Group D to the State Vigilance Commission:

State Vigilance Commission in respect of complaints referred to it under the first proviso, after making preliminary inquiry in respect of public servants belonging to Group A and Group B, shall submit its report to the Lokayukta in accordance with the provisions contained in sub-sections (*2*)

and (*4*) and in case of public servants belonging to Group C and Group D, the Commission shall submit the report to appropriate Officer. The appropriate officer shall be take action within six month and intimate action taken report.

(*2*) During the preliminary inquiry referred to in sub-section (*1*), the Inquiry Wing or any agency shall conduct a preliminary inquiry and on the basis of material, information and documents collected seek the comments on the allegations made in the complaint from the public servant and the competent authority and after obtaining the comments of the concerned public servant and the competent authority, submit, within sixty days from the date of receipt of the reference, a report to the Lokayukta .

(*3*) A bench consisting of not less than two Members of the Lokayukta shall consider every report received under sub-section (*2*) from the Inquiry Wing or any agency (including the Delhi Special Police Establishment), and after giving an opportunity of being heard to the public servant, decide whether there exists a *prima facie* case, and to proceed with one or more of the following actions, namely:---

(*a*) investigation by any agency or

(*b*) initiation of the departmental proceedings or any other appropriate action against the concerned public servants by the competent authority;

(*c*) Closure of the proceedings against the public servant and to proceed against the complainant under section 46.

(*4*) Every preliminary inquiry referred to in sub-section (*1*) shall ordinarily be completed within a period of sixty days and for reasons to be recorded in writing, within a further period of ninety days from the date of receipt of the complaint.

(*5*) In case the Lokayukta decides to proceed to investigate into the complaint, it shall direct any agency to carry out the investigation as expeditiously as possible and complete the investigation within a period of six months from the date of its order and submit the investigation report containing its findings to the Lokayukta :

Provided that the Lokayukta may extend the said period by a further period of six months for the reasons to be recorded in writing.

(6) Notwithstanding anything contained in section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973, any agency shall, in respect of cases referred to it by the Lokayukta , submit the investigation report to the Lokayukta .

(7) A bench consisting of not less than two Members of the Lokayukta shall consider every report received by it under sub-section (6) from any agency and may decide as to—

(a) file charge-sheet or closure report before the Special Court against the public servant to prosecution or inquiry wing;

(b) initiate the departmental proceedings or any other appropriate action against the concerned public servant by the competent authority.

(8) The Lokayukta may, after taking a decision under sub-section (7) on the filing of the charge-sheet, direct its Prosecution Wing or any agency to initiate prosecution in the Special Court in respect of the cases investigated by any agency.

(9) The Lokayukta may, during the preliminary inquiry or the investigation, as the case may be, pass appropriate orders for the safe custody of the documents relevant to the preliminary inquiry or, as the case may be, investigation as it deems fit.

(10) The website of the Lokayukta shall, from time to time and in such manner as may be specified by regulations, display to the public, the status of number of complaints pending before it or disposed of by it.

(11) The Lokayukta may retain the original records and evidences which are likely to be required in the process of preliminary inquiry or investigation or conduct of a case by it or by the Special Court.

(12) Save as otherwise provided, the manner and procedure of conducting a preliminary inquiry or investigation (including such material and documents to be made available to the public servant) under this Act, shall be such as may be specified by regulations.

Persons likely to be prejudicially affected to be heard.

21. If, at any stage of the proceeding, the Lokayukta —

(a) considers it necessary to inquire into the conduct of any person other than the accused; or

(b) Is of opinion that the reputation of any person other than an accused is likely to be prejudicially affected by the preliminary inquiry, the Lokayukta shall give to that person a reasonable opportunity of being heard in the preliminary inquiry and to produce evidence in his defence, consistent with the principles of natural justice.

Lokayukta may require any public servant or any other person to furnish information, etc.

22. Subject to the provisions of this Act, for the purpose of any preliminary inquiry or investigation, the Lokayukta or the investigating agences, as the case may be, may require any public servant or any other person who, in its opinion, is able to furnish information or produce documents relevant to such preliminary inquiry or investigation, to furnish any such information or produce any such document.

The power of lokayukta to sanction of prosecution.

23.(*1*) notwithstanding anything contained in section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988, The lokayukta shall have the power to sanction of initiate the prosecution under clause (a) of sub-section 7 of section 20.

(*2*) Any court may not take cognizance on such offence except prior approval of the lokayukta and no any prosecution shall be initiate under sub-section (1) against the public servant. notwithstanding anything who allege to performing the official duty or with proceeding as purporting,

(*3*) Nothing contained in sub-sections (1) and (*2*) shall apply in respect of the persons holding office in pursuance of the provisions of the Constitution and in respect of which a procedure for removal of such person has been specified therein.

(*4*) The provisions contained in sub-sections (*1*), (*2*) and (*3*) shall be without prejudice to the generality of the provisions contained in Article 311 and sub-clause (*c*) of clause (3) of Article 320 of the Constitution.

Action on investigation against public servant being Chief Minister, Ministers or Members of legislative Assembly.

24. Where, after the conclusion of the investigation, the findings of the Lokayukta disclose the commission of an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 by a public servant referred to in clause (*a*) or clause (*b*) or clause (*c*) of sub-section (*1*) of section 14, the Lokayukta may file a case in the Special Court and shall send a copy of the report together with its findings to the competent authority

CHAPTER VIII
Power Of Lokayukta.

Supervisory powers of Lokayukta.

25. (*1*) The Lokayukta shall, notwithstanding anything have the powers of superintendence and direction, as preservie.

Provided that while exercising powers of superintendence or giving direction under this sub-section, the Lokayukta shall not exercise powers in such a manner so as to require any agency to whom the investigation has been given, to investigate and dispose of any case in a particular manner.

(2) The State Vigilance Commission shall send a statement, at such interval as the Lokayukta may direct, to the Lokayukta in respect of action taken on complaints referred to it, the Lokayukta may issue guidelines for effective and expeditious disposal of such cases.

(3) Any officer investigating a case referred to it by the lokayukta, shall not be transferred without the approval of the lokayukta.

(4) The lokayukta shall have power to appoint a panel of advocates, other than the Government Advocates for conducting the cases referred to it by the lokayukta.

(5) The State Government may from time to time make available such funds as may be required by the lokayukta for the expenditure incurred in conducting such investigation.

Search and seizure.

26. (*1*) If the Lokayukta has reason to believe that any document which, in its opinion, shall be useful for, or relevant to, any investigation under this Act, are secreted in any place, it may authorise any agency to whom the investigation has been given to search for and to seize such documents.

(*2*) If the Lokayukta is satisfied that any document seized under sub-section (*1*) may be used as evidence for the purpose of any investigation under this Act and that it shall be necessary to retain the document in its custody or in the custody of such officer as may be authorised, it may so retain or direct such authorised officer to retain such document till the completion of such investigation:

Provided that where any document is required to be returned, the Lokayukta or the authorised officer may return the same after retaining copies of such document duly authenticated.

Lokayukta to have powers of civil court in certain cases.

27.(*1*) Subject to the provisions of this section, for the purpose of any preliminary inquiry, the Inquiry Wing of Lokayukta shall have all the powers of a civil court, under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(*i*) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(*ii*) requiring the discovery and production of any document;

(*iii*) receiving evidence on affidavits;

(*iv*) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(*v*) issuing commissions for the examination of witnesses or documents:

Provided that such commission, in case of a witness, shall be issued only where the witness, in the opinion of the Lokayukta , is not in a position to attend the proceeding before the Lokayukta ; and

(*vi*) Such other matters as may be prescribed.

(*2*) Any proceeding before the Lokayukta shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 of the Indian Penal Code.

Power of Lokayukta to utilise services of officers of State Government

28.(*1*) The Lokayukta may, for the purpose of conducting any preliminary inquiry or investigation, utilise the services of any officer or organisation or investigation agency of the State Government, as the case may be.

(*2*) For the purpose of preliminary inquiry or investigating into any matter pertaining to such inquiry or investigation, any officer or organisation or agency whose services are utilised under sub-section (*1*) may, subject to the superintendence and direction of the Lokayukta ,—

(*a*) summon and enforce the attendance of any person and examine him;

(*b*) require the discovery and production of any document; and

(*c*) Requisition any public record or copy thereof from any office.

(*3*) The officer or organisation or agency whose services are utilised under sub-section (*2*) shall inquire or, as the case may be, investigate into any matter pertaining to the preliminary inquiry or investigation and submit a report thereon to the Lokayukta within such period as may be specified by it in this behalf.

Provisional attachment of assets.

29.(*1*) Where the Lokayukta or any officer authorised by it in this behalf, has reason to believe, the reason for such belief to be recorded in writing, on the basis of material in his possession, that—

(*a*) any person is in possession of any proceeds of corruption;

(*b*) such person is accused of having committed an offence relating to corruption; and

(*c*) such proceeds of offence are likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which may result in frustrating any proceedings relating to confiscation of such proceeds of offence, the Lokayukta or he may, by order in writing, provisionally attach such property for a period not exceeding ninety days from the date of the order, in the manner provided in the Second Schedule to the Income-tax Act, 1961 and the Lokayukta shall be deemed to be an officer under sub-rule (*e*) of rule 1 of that Schedule.

(*2*) The Lokayukta or the officer authorised in this behalf shall, immediately after attachment under sub-section (*1*), forward a copy of the order, along with the material in his possession, referred to in that sub-section, to the Special Court, in a sealed envelope, in the manner as may be prescribed and such Court may extend the order of attachment and keep such material for such period as the Court may deem fit.

(*3*) Every order of attachment made under sub-section (*1*) shall cease to have effect after the expiry of the period specified in that sub-section or after the expiry of the period as directed by the Special Court under sub-section (*2*).

(*4*) Nothing in this section shall prevent the person interested in the enjoyment of the immovable property attached under sub-section (*1*) or sub-section (*2*), from such enjoyment.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, "person interested", in relation to any immovable property, includes all persons claiming or entitled to claim any interest in the property.

Confirmation of attachment of assets

30. (*1*) The Lokayukta , when it provisionally attaches any property under sub-section (*1*) of section 29 shall, within a period of thirty days of such attachment, direct its prosecution wing to file an application stating the facts of such attachment before the Special Court and make a prayer for confirmation of attachment of the property till completion of the proceedings against the public servant in the Special Court.

(*2*) The Special Court may, if it is of the opinion that the property provisionally attached had been acquired through corrupt means, make

an order for confirmation of attachment of such property till the completion of the proceedings against the public servant in the Special Court.

(3) If the public servant is subsequently acquitted of the charges framed against him, the property, subject to the orders of the Special Court, shall be restored to the concerned public servant along with benefits from such property as might have accrued during the period of attachment.

(4) If the public servant is subsequently convicted of the charges of corruption, the proceeds relatable to the offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 shall be confiscated and vest in the State Government free from any encumbrance or leasehold interest excluding any debt due to any bank or financial institution.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expressions "bank", "debt" and "financial institution" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (*d*), (*g*) and (*h*) of section 2 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993.

Confiscation of assets, proceeds, receipts and benefits arisen or procured by means of corruption in special circumstances

31. (*1*) Without prejudice to the provisions of sections 29 and 30, where the Special Court, on the basis of *prima facie* evidence, has reason to believe or is satisfied that the assets, proceeds, receipts and benefits, by whatever name called, have arisen or procured by means of corruption by the public servant, it may authorise the confiscation of such assets, proceeds, receipts and benefits till his acquittal.

(2) Where an order of confiscation made under sub-section (*1*) is modified or annulled by the High Court or where the public servant is acquitted by the Special Court, the assets, proceeds, receipts and benefits, confiscated under sub-section (*1*) shall be returned to such public servant, and in case it is not possible for any reason to return the assets, proceeds, receipts and benefits, such public servant shall be paid the price thereof including the money so confiscated with interest at the rate of five per cent. per annum thereon calculated from the date of confiscation.

Power of Lokayukta to recommend transfer or suspension of public servant connected with

32.(*1*) Where the Lokayukta, while making a preliminary inquiry into allegations of corruption, is prima facie satisfied, on the basis of

allegation of corruption

evidence available,—

(*i*) that the continuance of the public servant referred to in clause (*d*) or clause (*e*) or clause (*f*) of sub-section (*1*) of section 14 in his post while conducting the preliminary inquiry is likely to affect such preliminary inquiry adversely; or

(*ii*) Such public servant is likely to destroy or in any way tamper with the evidence or influence witnesses, then, the Lokayukta may recommend to the State Government for transfer or suspension of such public servant from the post held by him till such period as may be specified in the order.

(*2*) The State Government shall ordinarily accept the recommendation of the Lokayukta made under sub-section (*1*), except for the reasons to be recorded in writing in a case where it is not feasible to do so for administrative reasons.

Power of Lokayukta to give directions to prevent destruction of records during preliminary inquiry

33. The Lokayukta may, in the discharge of its functions under this Act, issue appropriate directions to a public servant entrusted with the preparation or custody of any document or record—

(*a*) to protect such document or record from destruction or damage; or

(*b*) to prevent the public servant from altering or secreting such document or record; or

(*c*) to prevent the public servant from transferring or alienating any assets allegedly acquired by him through corrupt means.

Power to delegate

34. The Lokayukta may, by general or special order in writing, and subject to such conditions and limitations as may be specified therein, direct that any administrative or financial power conferred on it may also be exercised or discharged by such of its Members or officers or employees as may be specified in the order.

CHAPTER IX

SPECIAL COURTS

Special Courts to be notified by State Government.

35. (*1*) The State Government shall constitute such number of Special Courts, as recommended by the Lokayukta , to hear and decide the cases arising out of the Prevention of Corruption Act, 1988 or under this Act.

(*2*) The Special Courts constituted under sub-section (*1*) shall ensure completion of each trial within a period of one year from the date of

filing of the case in the Court:

Provided that in case the trial cannot be completed within a period of one year, the Special Court shall record reasons therefor and complete the trial within a further period of not more than three months or such further periods not exceeding three months each, for reasons to be recorded in writing before the end of each such three month period, but not exceeding a total period of two years.

Letter of request to a contracting State in certain cases.

36. (*1*) Notwithstanding anything contained in this Act or the Code of Criminal Procedure, 1973 if, in the course of an preliminary inquiry or investigation into an offence or other proceeding under this Act, an application is made to a Special Court by an officer of the Lokayukta authorised in this behalf that any evidence is required in connection with the preliminary inquiry or investigation into an offence or proceeding under this Act and he is of the opinion that such evidence may be available in any place in a contracting State, and the Special Court, on being satisfied that such evidence is required in connection with the preliminary inquiry or investigation into an offence or proceeding under this Act, may issue a letter of request to a court or an authority in the contracting State competent to deal with such request to—

(*i*) examine the facts and circumstances of the case;

(*ii*) take such steps as the Special Court may specify in such letter of request; and

(iii) Forward all the evidence so taken or collected to the Special Court issuing such letter of request.

(*2*) The letter of request shall be transmitted in such manner as the State Government may prescribe in this behalf.

(*3*) Every statement recorded or document or thing received under sub-section (1) shall be deemed to be evidence collected during the course of the preliminary inquiry or investigation.

CHAPTER X
COMPLAINTS AGAINST CHAIRPERSON, MEMBERS AND OFFICIALS OF LOKAYUKTA

Removal and suspension of Chairperson and Members of Lokayukta.

37. (*1*) The Lokayukta shall not inquire into any complaint made against the Chairperson or any Member.

(*2*) Subject to the provisions of sub-section (*4*), the Chairperson or any

Member shall be removed from his office by order of the Governor on grounds of misbehaviour after the High Court, on a reference being made to it by the President on a petition being signed by at least twelve Members of Legislative Assembly; or

(*3*) The Governor may suspend from office the Chairperson or any Member in respect of whom a reference has been made to the High Court under sub-section (*2*) until the Governor has passed orders on receipt of the report of the High Court on such reference.

(*4*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*2*), the Governor may, by order, remove from the office, the Chairperson or any Member if the Chairperson or such Member, as the case may be,—

(*a*) is adjudged an insolvent; or

(*b*) engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office; or

(*c*) is in the opinion of the Governor, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body.

(d) Engage in corruption or bay

(*5*) If the Chairperson or any Member is, or becomes, in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of a State or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising there from otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section (*2*), be deemed to be guilty of misbehaviour.

Complaints against officials of Lokayukta

38. (*1*) Every complaint of allegation or wrongdoing made against any officer or employee or agency, under or associated with the Lokayukta for an offence punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988 shall be dealt with in accordance with the provisions of this section.

(*2*) The Lokayukta shall complete the inquiry into the complaint or allegation made, within a period of thirty days from the date of its receipt.

(*3*) While making an inquiry into the complaint against any officer or employee of the Lokayukta or agency engaged or associated with the Lokayukta, if it is *prima facie* satisfied on the basis of evidence

available, that—

(*a*) continuance of such officer or employee of the Lokayukta or agency engaged or associated in his post while conducting the inquiry is likely to affect such inquiry adversely; or

(*b*) an officer or employee of the Lokayukta or agency engaged or associated is likely to destroy or in any way tamper with the evidence or influence witnesses,

Then, the Lokayukta may, by order, suspend such officer or employee of the Lokayukta or divest such agency engaged or associated with the Lokayukta of all powers and responsibilities hereto before exercised by it .

(*4*) On the completion of the inquiry, if the Lokayukta is satisfied that there is *prima facie* evidence of the commission of an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 or of any wrongdoing, it shall, within a period of fifteen days of the completion of such inquiry, order to prosecute such officer or employee of the Lokayukta or such officer, employee, agency engaged or associated with the Lokayukta and initiate disciplinary proceedings against the official concerned:

Provided that no such order shall be passed without giving such officer or employee of the Lokayukta , such officer, employee, agency engaged or associated, a reasonable opportunity of being heard.

CHAPTER XI
ASSESSMENT OF LOSS AND RECOVERY THEREOF BY SPECIAL COURT

Assessment of loss and recovery thereof by Special Court.

39. If any public servant is convicted of an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 by the Special Court, notwithstanding and without prejudice to any law for the time being in force, it may make an assessment of loss, if any, caused to the public exchequer on account of the actions or decisions of such public servant not taken in good faith and for which he stands convicted, and may order recovery of such loss, if possible or quantifiable, from such public servant so convicted:

Provided that if the Special Court, for reasons to be recorded in writing, comes to the conclusion that the loss caused was pursuant to a conspiracy with the beneficiary or beneficiaries of actions or decisions of the public servant so convicted, then such loss may, if assessed and quantifiable under

this section, also be recovered from such beneficiary or beneficiaries proportionately.

CHAPTER XII

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

Budget

40. The Lokayukta shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Lokayukta and forward the same to the State Government for information.

Grants by State Government

41. The State Government may, after due appropriation made by Legislative assembly by law in this behalf, make to the Lokayukta grants of such sums of money as are required to be paid for the salaries and allowances payable to the Chairperson and Members and the administrative expenses, including the salaries and allowances and pension payable to or in respect of officers and other employees of the Lokayukta

Annual statement of accounts

42.(*1*) The Lokayukta shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Accountant General of Uttarakhand.

(*2*) The accounts of the Lokayukta shall be audited by the Accountant General of Uttarakhand at such intervals as may be specified by him.

(*3*) The Accountant General of Uttarakhand or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Lokayukta under this Act shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit, as the Accountant General of Uttarakhand generally has, in connection with the audit of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Lokayukta

(*4*) The accounts of the Lokayukta , as certified by the Accountant General of Uttarakhand or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the State Government and the State Government shall cause the same to be laid before Legislative Assembly.

Furnishing of returns, etc., to State Government

43. The Lokayukta shall furnish to the State Government, at such time and in such form and manner as may be prescribed or as the State Government may request, such returns and statements and such particulars in regard to any

matter under the jurisdiction of the Lokayukta, as the State Government may, from time to time, require.

CHAPTER XIII
DECLARATION OF ASSETS

Declaration of assets.

44. (*1*) Every public servant shall make a declaration of his assets and liabilities in the manner as provided by or under this Act.

(*2*) A public servant shall, within a period of thirty days from the date on which he makes and subscribes an oath or affirmation to enter upon his office, furnish to the competent authority the information relating to—

(*a*) the assets of which he, his spouse and his dependent children are, jointly or severally, owners or beneficiaries;

(*b*) his liabilities and that of his spouse and his dependent children.

(*3*) A public servant holding his office as such, at the time of the commencement of this Act, shall furnish information relating to such assets and liabilities, as referred to in subsection (*2*) to the competent authority within thirty days of the coming into force of this Act.

(*4*) Every public servant shall file with the competent authority, on or before the 31st July of every year, an annual return of such assets and liabilities, as referred to in sub-section (*2*), as on the 31st March of that year.

(*5*) The information under sub-section (*2*) or sub-section (*3*) and annual return under sub-section (*4*) shall be furnished to the competent authority in such form and in such manner as may be prescribed.

(*6*) The competent authority in respect of each office or Department shall ensure that all such statements are published on the website of such officer or Department by 31st August of that year.

Explanation.—For the purposes of this section, "dependent children" means sons and daughters who have no separate means of earning and are wholly dependent on the public servant for their livelihood.

Presumption as to acquisition of assets by corrupt means in certain cases.

45. If any public servant wilfully or for reasons which are not justifiable, fails to—

(*a*) to declare his assets; or

(*b*) gives misleading information in respect of such assets and is found to be in possession of assets not disclosed or in respect of which misleading

information was furnished, then, such assets shall, unless otherwise proved, be presumed to belong to the public servant and shall be presumed to be assets acquired by corrupt means:

Provided that the competent authority may condone or exempt the public servant from furnishing information in respect of assets not exceeding such minimum value as may be prescribed.

CHAPTER XIV
OFFENCES AND PENALTIES

Prosecution for false complaint and payment of compensation, etc., to public servant.

46. (*1*) Notwithstanding anything contained in this Act, whoever makes any false and frivolous or vexatious complaint under this Act shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to one lakh rupees.

(*2*) No Court, except a Special Court, shall take cognizance of an offence under subsection (*1*).

(*3*) No Special Court shall take cognizance of an offence under sub-section (*1*) except on a complaint made by a person against whom the false, frivolous or vexatious complaint was made or by an officer authorised by the Lokayukta.

(*4*) The prosecution in relation to an offence under sub-section (*1*) shall be conducted by the public prosecutor and all expenses connected with such prosecution shall be borne by the State Government.

(*5*) In case of conviction of a person [being an individual or society or association of persons or trust (whether registered or not)], for having made a false complaint under this Act, such person shall be liable to pay compensation to the public servant against whom he made the false complaint in addition to the legal expenses for contesting the case by such public servant, as the Special Court may determine.

(*6*) Nothing contained in this section shall apply in case of complaints made in good faith.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the expression "good faith" means any act believed or done by a person in good faith with due care caution and sense of responsibility or by mistake or fact believing himself justified by law under section 52 of the Indian Penal Code.

False complaint made by society or association of persons or trust.

47.(*1*) Where any offence under sub-section (*1*) of section 46 has been committed by any society or association of persons or trust (whether

registered or not), every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the society or association of persons or trust, for the conduct of the business or affairs or activities of the society or association of persons or trust as well as such society or association of persons or trust shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(*2*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*1*), where an offence under this Act has been committed by a society or association of persons or trust (whether registered or not) and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of such society or association of persons or trust, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

CHAPTER XV

MISCELLANEOUS

Reports of Lokayukta.

48. It shall be the duty of the Lokayukta to present annually to the Governor a report on the work done by the Lokayukta and on receipt of such report the Governor shall cause a copy thereof together with a memorandum explaining, in respects of the cases, if any, where the advice of the Lokayukta was not accepted, the reason for such non-acceptance to be laid before Legislative Assembly.

Lokayukta to function as appellate authority for appeals arising out of any other law forthe time being in force.

49. The Lokayukta shall function as the final appellate authority in respect of appeals arising out of any other law for the time being in force providing for delivery of public services and redressal of public grievances by any public authority in cases where the decision contains findings of corruption

under the Prevention of Corruption Act, 1988.

Protection of action taken in good faith by any public servant

50. No suit, prosecution or other legal proceedings under this Act shall lie against any public servant, in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in the discharge of his official functions or in exercise of his powers.

Protection of action taken in good faith by others.

51. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Lokayukta or against any officer, employee, agency or any person, in respect of anything which is done in good faith or intended to be done under this Act or the rules or the regulations made there under.

Members, officers and employees of Lokayukta to be public servants.

52. The Chairperson, Members, officers and other employees of the Lokayukta shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Limitation to apply in certain cases

53. The Lokayukta shall not inquire or investigate into any complaint, if the complaint is made after the expiry of a period of seven years from the date on which the offence mentioned in such complaint is alleged to have been committed.

Bar of Jurisdiction.

54. No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Lokayukta is empowered by or under this Act to determine.

Legal assistance.

55. The Lokayukta shall provide to every person against whom a complaint has been made, before it, under this Act, legal assistance to defend his case before the Lokayukta , if such assistance is requested for.

Act to have overriding effect

56. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act or in any instrument having effect by virtue of any enactment other than this Act.

Provisions of this Act to be in addition of other laws.

57. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

Power to make rules

58. (*1*) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(*2*) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters,

namely:—

(*a*) the form of complaint referred to in clause (*d*) of sub-section (*1*) of section 2 and the term of the Search Committee, the fee and allowances payable to its members and the manner of selection of panel of names

(b) the post or posts in respect of which the appointment shall be made after consultation with the State Public Service Commission under the proviso to subsection (*3*) of section 10;

(c) other matters for which the Lokayukta shall have the powers of a civil court under clause (*vi*) of sub-section (*1*) of section 27;

(d) the manner of sending the order of attachment along with the material to the Special Court under sub-section (*2*) of section 29;

(e) the manner of transmitting the letter of request under sub-section (*2*) of section 36;

(f) the form and the time for preparing in each financial year the budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Lokayukta under section 40;

(g) the form for maintaining the accounts and other relevant records and the form of annual statement of accounts under sub-section (*1*) of section 42;

(h) the form and manner and the time for preparing the returns and statements along with particulars under section 43;

(i) the form of annual return to be filed by a public servant under sub-section (*5*) of section 44;

(j) the minimum value for which the competent authority may condone or exempt a public servant from furnishing information in respect of assets under the proviso to section 45;

(k) the form and the time for preparing an annual report giving a summary of it activities during the previous year under sub-section (2) of section 43;

(l) Any other matter which is to be or may be prescribed.

Power of Lokayukta to make regulations

59. (*1*) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Lokayukta may, by notification in the Official Gazette, make regulations

to carry out the provisions of this Act.

(*2*) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:—

(*a*) the conditions of service of the secretary and other officers and staff of the Lokayukta and the matters which in so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President under sub-section (*4*) of section 10;

(*b*) the place of sittings of benches of the Lokayukta under clause (*f*) of sub-section (*1*) of section 16;

(*c*) the manner for displaying on the website of the Lokayukta , the status of all complaints pending or disposed of along with records and evidence with reference thereto under sub-section (*9*) of section 20;

(*d*) the manner and procedure of conducting an preliminary inquiry or investigation under sub-section (*11*) of section 20;

(*e*) Any other matter which is required to be, or may be, specified under this Act.

Laying of rules and regulations

60. Every rule and regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before legislative Assembly as soon as successive sessions Legislative Assembly agree in making any modification in the rule or regulation, or legislative Assembly agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

Power to remove difficulties

61.(*1*) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(*2*) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after

it is made, before legislative Assembly.

CHAPTER XVI

Saving and Repeals

Saving & Repeals

62.(*I*) the Uttarakhand lokayukta Act-2011 (Uttarakhand notification No. 27 years 2013) is hereby repealed.

(*II*) The Uttarakhand special court act 2011 is hereby repealed.

(*III*) Notwithstanding any repeal, any action under that act treated as acted under this act.

By Order,

K. D. BHATT,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 विधायी/233--2014--100+600 (कम्प्यूटर/रीजियो)।